42

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

'विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा'

बयालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा
सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, *1944* (शक)

बयालीसवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

विभिन्न प्रकार के दिव्यांग जनों के लिए स्थापित

राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा'

16.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

16.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, *2022/* अग्रहायण, *1944 (*शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं
	समिति की संरचना (2020-21)	(iii)
	प्राक्कथन	(ix)
	प्रतिवेदन	1
अध्याय -I	राष्ट्रीय संस्थान	1
अध्याय - II	क्षेत्रीय केंद्र और एकीकृत क्षेत्रीय केंद्र	15
अध्याय - III	लाभार्थियों की तुलना में बजटीय आवंटन	24
अध्याय -IV	संकाय/कर्मचारी	36
अध्याय - V	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अनुसंधान परियोजनाएं	44
अध्याय- VI	मानसिक स्वास्थ्य	57
अध्याय- VII	राष्ट्रीय संस्थानों की निगरानी	63
	अनुबंध	*
अनुबंध - I		
अनुबंध - II		
अनुबंध -III		
	परिशिष्ट	70
	टिप्पणियों/सिफारिशों का विवरण	

* बाद में संलग्न किया जाएगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2021-22) का गठन

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीपक अधिकारी (देव)
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी .सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतरसिंह दरबार
8. श्री वाई .देवेन्द्रप्पा
9. श्रीमती मेनका संजय गांधी
10. श्री हंस राज हंस
11. श्री के.षणमुग सुंदरम
12. श्री अब्दुल खालेक
13. श्रीमती रंजीता कोली
14. श्रीमती गीता कोड़ा
15. श्री विजय कुमार

16. श्री अक्षयवर लाल

17. श्री वी .श्रीनिवास प्रसाद

18. श्री अर्जुन सिंह

19. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले

20. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा

21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्रीमती रमिलाबेन बारा

23. श्री अबीर रंजन बिस्वास

24. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा

25. श्री एन .चंद्रशेखरन

26. श्री नारायण कोरागप्पा

27. श्रीमती ममता मोहंता

*28. रिक्त

**29. रिक्त

***30. रिक्त

****31. रिक्त

---

* श्री एम मोहम्मद अब्दुल्ला ने 16.03.2022 से त्यागपत्र दिया ।

** श्रीमती झरना दास बैद्य 02.04.2022 से सेवानिवृत्त हुईं।

*** श्रीमती छाया वर्मा 29.06.2022 से सेवानिवृत्त हुईं।

**** श्री रामकुमार वर्मा 04.07.2022 से सेवानिवृत्त हुए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2022-23) की संरचना

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीपक अधिकारी (देव)
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतर सिंह दरबार
8. श्रीमती मेनका संजय गांधी
9. श्री हंस राज हंस
10. श्री अब्दुल खालेक
11. श्रीमती रंजीता कोली
12. श्रीमती गीता कोड़ा
13. श्री विजय कुमार
14. श्री अक्षयवर लाल
15. सरदार सिमरन जीत सिंह मान
16. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
17. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
18. श्री के.षणमुग सुंदरम
19. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
20. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक
23. श्रीमती रमिलाबेन बारा
24. श्री अबीर रंजन बिस्वास
25. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
26. श्री एन. चंद्रशेखरन
27. श्री नारायण कोरागप्पा
28. श्रीमती ममता मोहंता
29. श्री रामजी
30. श्री अंतियुर पी.सेल्वरासू
31. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

लोक सभा सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता बी पांडा	-	अपर सचिव
2.	श्री वेद प्रकाश नौरियाल	-	संयुक्त सचिव
3.	श्रीमती ममता केमवाल	-	निदेशक
4.	श्री कृष्णेन्द्र कुमार	-	उप सचिव
5.	श्रीमती बिनानी सरकार जोशी	-	अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) से संबंधित 'विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा' संबंधी यह उनतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के प्रतिनिधियों का 11 जुलाई, 2022 को मौखिक साक्ष्य लिया । समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के साक्ष्य पर आधारित हैं।

3. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने 14 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के अधिकारियों को लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/सूचना प्रस्तुत करने और विषय की जांच के संबंध में साक्ष्य देने और समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए भी धन्यवाद देती है।

5. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
15 दिसंबर, 2022
24 अग्रहायण, 1944 (शक)

रमा देवी
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी
स्थायी समिति

प्रतिवेदन

<u>राष्ट्रीय संस्थान</u>

अध्याय - एक

प्रस्तावना

1.1 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं जो कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत हैं। दिव्यांगजनों की कुल आबादी में से, लगभग 1.50 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें दृश्य, श्रवण, वाक् और लोकोमोटर दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांग), बहु दिव्यांगता और अन्य दिव्यांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं।

1.2 दिव्यांगजनों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है: -

दिव्यांगता के प्रकार	**व्यक्ति**	**पुरूष**	**महिलाएं**
चलने में	54,36,826	33,70,501	20,66,325
देखने में	50,33,431	26,39,028	23,94,403
सुनने में	50,72,914	26,78,584	23,94,330
बोलने में	19,98,692	11,22,987	8,75,705
मानसिक मंदता	15,05,964	8,70,898	6,35,066
मानसिक रोग	7,22,880	4,15,758	3,07,122
कोई अन्य	49,27,589	27,28,125	21,99,464
बहु दिव्यांगता	21,16,698	11,62,712	9,53,986
कुल	2.68,14,494	1,49,885,93 (55.89%)	1,18,264,01 (44.11%)

1.3 विकलांग व्यक्तियों की राज्य-वार जनसंख्या निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	राज्य	2011 की जनगणना के अनुसार कुल दिव्यांगजन
1	आंध्र प्रदेश	12,19,785
2	अरूणाचल प्रदेश	26,734
3	असम	4,80,065
4	बिहार	23,31,009
5	छत्तीसगढ	6,24,937
6	दिल्ली	2,34,882
7	गोवा	33,012
8	गुजरात	10,92,302
9	हरियाणा	5,46,374
10	हिमाचल प्रदेश	1,55,316
11	जम्मू और कश्मीर	3,61,153
12	झारखंड	7,69,980
13	कर्नाटक	13,24,205
14	केरल	7,61,843
15	मध्य प्रदेश	15,51,931
16	महाराष्ट्र	29,63,392
17	मणिपुर	58,547
18	मिजोरम	15,160
19	मेघालय	44,317
20	नगालैंड	29,631
21	ओडिशा	12,44,402
22	पंजाब	6,54,063
23	राजस्थान	15,63,694
24	सिक्किम	18,187
25	तमिलनाडु	11,79,963

26	तेलंगाना	10,46,822
27	त्रिपुरा	64,346
28	उत्तर प्रदेश	41,57,514
29	उत्तराखंड	1,85,272
30	पश्चिम बंगाल	20,17,406
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,660
32	चंडीगढ़	14,796
33	दमन और दीव	2,196
34	दादर और नगर हवेली	3,294
35	लक्षद्वीप	1,615
36	पुदुचेरी	30,189
	कुल	2,68,14,994

1.4 दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कानून अधिनियमित किए गए हैं: -

(i) <u>भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992</u>

पुनर्वास पेशेवरों और कर्मियों के प्रशिक्षण को विनियमित और निगरानी करने और पुनर्वास और स्पेशल एजुकेशन में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के तहत भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी।

(ii) <u>राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999</u>

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण अधिनियम, 1999 पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करता है, दिव्यांगजनों की देखभाल और सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देता है आदि।

(iii) <u>दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016)</u>

भारत ने दिव्यांगजनों पर अपने राष्ट्रीय कानून अर्थात् दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीआरपीडी) के विभिन्न प्रावधानों के साथ संरेखित किया है। यह अधिनियम 19 अप्रैल, 2017 को लागू हुआ था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगजनों की निम्नलिखित 21 श्रेणियों को मान्यता दी गई है:-

पहले पहचाने गए	**नया जोड़ा गया**	
लोकोमोटर दिव्यांगता	मांसपेशीय डिस्ट्रोफी	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
अंधापन	बौनापन	मल्टिपल स्क्लेरोसिस
कम दृष्टि	प्रमस्तिष्क घात	पार्किंसंस रोग
श्रवण बाधिता	एसिड अटैक पीड़ित	हीमोफिलिया
कुष्ठ रोग उपचारित	वाक् और भाषा दिव्यांगता	थैलेसीमिया
बौद्धिक दिव्यांगता *(पहले एमआर)*	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता	सिक्कल सेल रोग
मानसिक रोग	ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार	बहु दिव्यांगताएं

राष्ट्रीय संस्थान

1.5 बहु दिव्यांगताओं से पीड़ित दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत नौ स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की है। जैसा कि अधिदेशित है, ये संस्थान दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करते हैं, विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं, अनुसंधान आदि करते हैं। इन नौ राष्ट्रीय संस्थानों का संक्षिप्त परिचय और उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

(क) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली

वर्ष 1975 में स्थापित यह संस्थान पोलियो, प्रमस्तिष्क घात, आघातजन्य विकृतियों, ब्रेन स्ट्रोक आदि जैसी गतिशील दिव्यांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है।

लक्ष्य और उद्देश्य:

i. दिव्यांगजनों को सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट तथा ऐसे अन्य पेशेवरों को प्रशिक्षण देना।

ii. शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्य-समायोजन और ऐसी अन्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, जिनकी आवश्यकता सम्बद्ध मानसिक मंदता वाले या मानसिक मंदता रहित आर्थोपेडिकली दिव्यांगजनों को हो सकती है।

iii. दिव्यांगजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए आवश्यक यंत्रों और उपकरणों के निर्माण और वितरण का कार्य करना।

iv. ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करना जो दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त समझी जा सकती हैं, जिसमें बैठकें, सेमिनार और संगोष्ठी आयोजित करना शामिल है।

v. दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए अधिक प्रभावी तकनीक विकसित करने के उद्देश्य से अनुसंधान संचालित करना, आरंभ करना, प्रायोजित करना या उसे प्रोत्साहित करना।

ख. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक

यह ओडिशा के कटक जिले के ओलटपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर की एक सहायक इकाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक ट्रेनिंग (एनआईपीओटी) के रूप में की गई थी। समुदाय आधारित पुनर्वास और मानव संसाधन विकास पर जोर देने के लिए एनआईपीओटी को 22 फरवरी 1984 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (तत्कालीन कल्याण मंत्रालय), भारत सरकार के अधीन लाया गया था। तब से, यह इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है। इसका नाम वर्ष 1984 में एनआईओपीटी से एनआईआरटीएआर और बाद में वर्ष 2004 में एसवीएनआईआरटीएआर में बदल दिया गया। यह लोकोमोटर दिव्यांगजनों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए देश के प्रमुख संस्थानों में से एक है।

लक्ष्य और उद्देश्य:

i. शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बहुउद्देशीय पुनर्वास चिकित्सक और अन्य कर्मियों के लिए दीर्घकालिक, अल्पकालिक पाठ्यक्रम संचालित करना, प्रशिक्षण देना।

ii. प्रोटोटाइप डिज़ाइन किए गए यंत्रों और उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना, वितरण करना और सब्सिडी देना।

iii. लोकोमोटर दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवा वितरण कार्यक्रमों के मॉडल का विकास।

iv. शारीरिक दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और पुनर्वास।

v. बायो-मेडिकल इंजीनियरिंग पर अनुसंधान गतिविधियों का संचालन और समन्वय करना जिससे अस्थि दिव्यांगजनों या उपयुक्त शल्य चिकित्सा या चिकित्सा प्रक्रियाओं और मानकीकरण के लिए गतिविषयक सहायक उपकरणों का प्रभावी मूल्यांकन और मानकीकरण हो सके।

vi. विस्तार और आउटरीच सेवाएं।

ग. राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता

वर्ष 1978 में, एक स्वायत्त निकाय के रूप में तत्कालीन समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी) पूर्व में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड (एनआईओएच) की स्थापना की गई थी। एनआईएलडी लोकोमोटर दिव्यांगजनों को उनकी क्षमता का अनुकूलन करने और पुनर्वास प्रबंधन, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानव संसाधन विकास के माध्यम से अपने गैर-दिव्यांगजन साथियों के साथ समान आधार पर जीवन जीने के उनके अधिकार का एहसास कराने के लिए समर्थ और सक्षम बनाता है।

लक्ष्य और उद्देश्य:

i. समन्वय या गतिशीलता की समस्याओं वाले लोकोमोटर दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान का संचालन/प्रायोजन, समन्वय या सब्सिडी देना।

ii. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अनुसंधान करना, प्रायोजित करना, समन्वय करना या सब्सिडी देना जिससे सहायक उपकरणों के प्रभावी मूल्यांकन और मानकीकरण या उपयुक्त शल्य चिकित्सा या चिकित्सा प्रक्रियाओं या नए सहायक यंत्रों का विकास हो सके।

iii. प्रशिक्षुओं और शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं और ऐसे अन्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण चलाना या प्रायोजित करना जिन्हें संस्थान द्वारा शिक्षा, प्रशिक्षण या लोकोमोटर दिव्यांगताओं के पुनर्वास के लिए आवश्यक समझा जाए।

iv. लोकोमोटर दिव्यांगजनों की शिक्षा, पुनर्वास या चिकित्सा के किसी भी पहलू को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी या सभी सहायक उपकरणों का निर्माण और वितरण करना, बढ़ावा या सब्सिडी देना।

घ. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून

देहरादून में 1979 में स्थापित **राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान** (दिव्यांगजन) (एनआईईपीवीडी) दृष्टिबाधा के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पिछले 75 वर्षों से सामुदायिक जीवन के सभी पहलुओं में भाग लेने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सशक्त और सक्षम बनाना है।

लक्ष्य और उद्देश्य:

i. शिक्षकों, ओएंडएम प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम संचालित और प्रायोजित करना और समाज की मुख्यधारा के संस्थानों के क्षेत्र कार्यकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के क्षमता निर्माण का कार्य करना।

ii. दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के विभिन्न आयामों में अनुसंधान को संचालित, प्रायोजित, समन्वित और/या सब्सिडी देना।

iii. न्यूनतम मानकों और व्यापक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य पुनर्वास सेवाओं के मॉडल डिजाइन और विकसित करना।

ङ अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक और श्रवण दिव्यांगता संस्थान (दिव्यांगजन), मुंबई

संस्थान की स्थापना अगस्त, 1983 को मुख्य रूप से देश में वाक और श्रवण दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए की गई थी।

लक्ष्य और उद्देश्य:

i. श्रवण दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान का संचालन, प्रायोजन, समन्वय या सब्सिडी देना।

ii. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अनुसंधान शुरू करना, प्रायोजित करना, समन्वय करना या सब्सिडी देना जिससे सहायक सामग्रियों या उपयुक्त शल्य चिकित्सा या चिकित्सा प्रक्रियाओं या नई सहायक सामग्रियों का विकास प्रभावी मूल्यांकन होता है।

iii. प्रशिक्षुओं, शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं और ऐसे अन्य कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू करना या प्रायोजित करना जो संस्थान द्वारा श्रवण दोष वाले व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझे जाए।

iv. श्रवण दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, पुनर्वास और चिकित्सा के किसी भी पहलू को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी या सभी सहायता सामग्रियों के प्रोटोटाइप और निर्माण का वितरण या बढ़ावा या सब्सिडी देना।

च. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन) (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद

संस्थान की स्थापना वर्ष 1984 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजनों (दिव्यांगजन) के सशक्तिकरण विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। संस्थान देश में बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवाओं के त्रिपक्षीय कार्यों वाला एक शीर्ष निकाय है। संस्थान 37 वर्षों से बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है।

एनआईपीआईडी बौद्धिक दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूआईडी) के जीवन में समानता और गरिमा लाने के लिए अपने कामकाज के हर पहलू में उच्च मानकों पर ध्यान केंद्रित करने वाला उत्कृष्ट संस्थान बनने का प्रयास करता है, जो आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन द्वारा अनुमोदित है।

लक्ष्य और उद्देश्य:

i. बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति का सृजन करना और मानव संसाधनों का विकास करना।

ii. देश में बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान की पहचान, संचालन और समन्वय।

iii. भारतीय संस्कृति के लिए उपयुक्त बौद्धिक दिव्यांगजनों की देखभाल और उपचार के उपयुक्त मॉडल विकसित करना।

iv. बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

v. बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में एक प्रलेखन और सूचना केंद्र के रूप में सेवा करना।

vi. ग्रामीण और कम आय वाली जरूरतमंद आबादी में समुदाय-आधारित पुनर्वास सेवाओं को विकसित करना।

vii. बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में एक्सटेंशन और आउटरीच कार्यक्रम शुरू करना।

छ. राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन) (एनआईईपीएमडी), चेन्नई

संस्थान की स्थापना वर्ष 2005 में तमिलनाडु के मुतुकुडु, चेन्नई में बहुदिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में सेवा करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई थी।

लक्ष्य और उद्देश्य:

i. बहु-दिव्यांग जनों के प्रबंधन, प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के लिए मानव संसाधन का विकास करना।

ii. बहु दिव्यांगता से संबंधित सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना और करना।

iii. सामाजिक पुनर्वास के लिए ट्रांस डिस्सिप्लिनरी मॉडल और रणनीतियों को विकसित करना और बहु दिव्यांग जनों के विभिन्न समूहों की जरूरतों को पूरा करना।

iv. बहु-दिव्यांग जनों के लिए सेवाएं और आउटरीच कार्यक्रम शुरू करना।

ज. भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी)

सरकार ने सितंबर, 2015 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) की स्थापना की है। यह ओखला, नई दिल्ली में कार्य कर रहा है।

लक्ष्य और उद्देश्य:

i. द्विभाषावाद (यानी सांकेतिक भाषा + लेखन) सहित भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में उपयोग, शिक्षण और अनुसंधान करने के लिए जनशक्ति विकसित करना।

ii. प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर श्रवण बाधित छात्रों के लिए शैक्षिक मोड के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना। संस्थान मानव

संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य शिक्षा विभागों के साथ तौर-तरीकों पर काम करेगा।

iii. भारत और विदेशों में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान करना और भारतीय सांकेतिक भाषा कोष (शब्दावली) के निर्माण सहित आईएसएल के भाषाई रिकॉर्ड/विश्लेषण बनाना।

iv. विभिन्न समूहों, अर्थात् सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों, पेशेवरों, सामुदायिक नेताओं और जनता को बड़े पैमाने पर भारतीय सांकेतिक भाषा को समझने और उपयोग करने के लिए उन्मुख और प्रशिक्षित करना।

v. भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए दिव्यांगता के क्षेत्र में बधिरों हेतु संगठनों और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना।

vi. विश्व के अन्य हिस्सों में उपयोग की जाने वाली सांकेतिक भाषा से संबंधित जानकारी एकत्र करना, ताकि उनके इनपुट का उपयोग भारतीय सांकेतिक भाषा को अपग्रेड करने के लिए किया जा सके।

झ. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सिहोर, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) की स्थापना के प्रस्ताव को 2018 में 179.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ मंत्रिमण्डल में मंजूरी दी गई थी। इसे 28 मई 2019 को मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य एकीकृत बहु-विषयक दृष्टिकोण का उपयोग करके मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास को बढ़ावा देना और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों को विकसित करना है। मध्य प्रदेश में भोपाल-सीहोर राजमार्ग के समीप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित 25 एकड़ भूखण्ड पर इसका स्थायी भवन निर्माणाधीन है।

वर्तमान में एनआईएमएचआर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए गए 'पुराने जिला पंचायत भवन' सीहोर में अस्थायी आवास से कार्य कर रहा है। यह पुनर्वास और नैदानिक सेवाएं प्रदान कर रहा है और सर्टिफिकेट कोर्स इन केयर गिविंग (सीसीसीजी मानसिक स्वास्थ्य), डिप्लोमा इन कम्यूनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन (डीसीबीआर) और

व्यावसायिक पुनर्वास- बौद्धिक दिव्यांगता (डीवीआर-आईडी) में डिप्लोमा कार्यक्रम भी चलाता है।

लक्ष्य और उद्देश्य:

i. मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाएं और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए मानकों का विकास।

ii. मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकसित करना।

iii. नीति निर्धारण और उन्नत अनुसंधान में लगे रहना।

1.6 राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका और कार्यों के संबंध में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव ने समिति के समक्ष साक्ष्य में बताया कि:-

"नैशनल इन्स्ट्टियूट्स का पहला कार्य ऑब्जेक्टिव रीहैबिलिटेशन सर्विसेज़ प्रदान करना है। इसमें उनका मेन कार्य अर्ली-आईडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का है। दूसरा मेन कार्य रीहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल्स को तैयार करना है, क्योंकि यह एक ऐसी स्पेसिफिक फील्ड हैं, जिसमें एक डिफरेंट टाइप का कोर्स होता है और उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अत: उन पर्सनल्स को तैयार करने की जिम्मेदारी भी नैशनल इन्स्ट्टियूट्स को सौंपी गई है।"

1.7 यह पूछे जाने पर कि क्या यह सच है कि कुछ राष्ट्रीय संस्थानों को बंद करने का प्रस्ताव है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव ने समिति की बैठक के दौरान समिति को सूचित किया कि:-

"यह सच नहीं है..... मूल रूप से, यह क्लस्टरिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।"

1.8 संस्थानों की क्लस्टरिंग के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहे जाने पर सचिव ने समिति के विचार-विमर्श के दौरान बताया कि:-

'इसकी गतिविधियां जस की तस बनी रहेंगी, बल्कि यह आगे ही आगे बढ़ेंगी। हमने इसी तरह की योजना बनाई है। मूल रूप से, क्लस्टरिंग किसी भी क्षेत्रीय केंद्र या सीआरसी गतिविधियों या यहां तक कि संस्थानों की गतिविधियों को बाधित करने के लिए नहीं है। जो हो रहा है, वह यह है। हम सभी साइलोस में काम कर रहे हैं।"

1.9 राष्ट्रीय संस्थानों की क्लस्टरिंग की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर सचिव ने साक्ष्य के दौरान समिति को सूचित किया कि:-

'प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। इसमें हम निश्चित रूप से प्रत्येक संस्थान की स्वायत्तता, विशेषता और विशिष्टता का ध्यान रखेंगे। कोई भी संस्थान बंद नहीं हो रहा है। वह वहीं है। क्लस्टर का मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें बंद कर रहे हैं। यह प्रशासनिक ढांचा हो सकता है जो थोड़ा बदल जाएगा। मैं स्थायी समिति में कह रहा हूं कि किसी भी संस्थान को बंद नहीं किया जाएगा।"

1.10 समिति नोट करती है कि तीन विधान अर्थात भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992; राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण और सशक्तिकारण के लिए अधिनियमित किया गया है। समिति आगे नोट करती है कि 21 अभिज्ञात दिव्यांगताओं के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने, दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने, अनुसंधान आदि का संचालन करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत वर्ष 1975 से अब तक नौ स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए हैं। समिति पुरजोर रूप से यह महसूस करती है कि भारत सरकार के ये प्रयास सराहनीय हैं क्योंकि उनका उद्देश्य दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभिन्न अधिनियमों/ योजनाओं / संगठनों के अंतर्गत उपलब्ध पुनर्वास सुविधाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को बेहतर तरीके से अपना जीवन जीने में सक्षम बनाना है। इस संबंध में समिति ने कुछ ख़बरों से यह पाया कि कुछ राष्ट्रीय संस्थानों का विलय/बंद किए जाने की संभावना है। तथापि, बाद में सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कोई भी राष्ट्रीय संस्थान बंद नहीं किए जायेंगे।

तथापि, समिति को सूचित किया गया कि संस्थानों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस प्रक्रिया के कारण संस्थानों की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी और प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन के अलावा किसी भी संस्थान की स्वायत्तता, विशिष्टता और विशेषज्ञता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सचिव द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, समिति का मानना है कि विभाग द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो संस्थानों के साथ-साथ दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए हानिकारक हो। वे की गई कार्रवाई स्तर पर क्लस्टरिंग संबंधी प्रक्रिया की स्थिति से अवगत होना चाहेंगे।

1.11 समिति ने पाया कि 2.68 करोड़ की कुल दिव्यांगजन आबादी का आंकड़ा 2011 की जनगणना पर आधारित है और अपनी चिंता व्यक्त करती है कि क्या यह वास्तव में दिव्यांगजन आबादी की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। समिति का मानना है कि विकलांग व्यक्तियों की वास्तविक संख्या बहुत अधिक हो सकती है, क्योंकि उपलब्ध आंकड़ा 10 वर्ष से अधिक पुराना है। इसलिए, उनका मानना है कि विभाग को आज की स्थिति के अनुसार देश में दिव्यांगजन की अनुमानित संख्या की जानकारी है ताकि आवश्यक संसाधनों का वास्तविक मूल्यांकन, निधियों का आवंटन और उचित लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें। यह फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, चिकित्सक, पराचिकित्सक आदि जैसे प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता के लिए भी सही होगा, जहां सभी संभावनाओं में, वास्तविक संख्या आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। इसलिए, समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह आगे के परिणाम निर्धारित करते समय उनके अवलोकन को संज्ञान में ले और सभी राष्ट्रीय संस्थानों को दिव्यांग आबादी के लिए परिपूर्ण रूप से कार्यात्मक बनाने का प्रयास करे।

अध्याय - दो

क्षेत्रीय केंद्र और एकीकृत क्षेत्रीय केंद्र

2.1 विशेषज्ञता के क्षेत्र में पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के 11 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। उनमें से कुछ मानव संसाधन विकास पाठ्यक्रम भी संचालित करते हैं। क्षेत्रीय केन्द्रों के अलावा कुछ राष्ट्रीय संस्थानों के प्रशासनिक नियंत्रण में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए एकीकृत क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी) भी हैं। अवसंरचना और जनशक्ति के सीमित उपयोग से एक ही छत के नीचे दिव्यांगजनों की सभी श्रेणियों को पुनर्वास सेवाओं का कवरेज प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 से विभिन्न राज्यों में इन्हें संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों के आउटरीच/विस्तार केन्द्रों के रूप में स्थापित किया गया है।

2.2 क्षेत्रीय केंद्रों और एकीकृत क्षेत्रीय केंद्र का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राष्ट्रीय संस्थान (एनआई)	स्थापना वर्ष	क्षेत्रीय केंद्र/क्षेत्रीय शाखा (आरसी)	एकीकृत क्षेत्रीय केंद्र (स्वीकृति वर्ष)
1	पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संसथान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली	1975	क्षेत्रीय केंद्र, सिकंदराबाद	लखनऊ (2000) और श्रीनगर (2000) में सीआरसी
2	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक	1975	कोई नहीं	गुवाहाटी (2001), रांची (2017) में सीआरसी, बलांगीर (2018) और इंफाल (2020) में सीआरसी
3	राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान	1978	देहरादून और आइजोल में क्षेत्रीय	पटना (2009), नाहरलागून (2016)

	(एनआईएलडी), कोलकाता		केंद्र	और अगरतला (2017) में सीआरसी
4	राष्ट्रीय दृष्टिबाधित सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून	1979	क्षेत्रीय केंद्र, चेन्नई	सुंदरनगर (2001), गोरखपुर (2018) और गंगटोक (2018) में सीआरसी
5	अली यावर जंग वाक् और श्रवणबाधित संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई	1983	सिकंदराबाद, नोएडा और जालना में क्षेत्रीय केंद्र	भोपाल (2000), अहमदाबाद (2011) और नागपुर (2016) में सीआरसी
6	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद	1984	नोएडा, नवी मुंबई और कोलकाता में क्षेत्रीय केंद्र	नेल्लोर (2015), राजनंदनगांव (2015) और दावणगेरे (2016) में सीआरसी
7	राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई	2005	कोई नहीं	कोझिकोडे (2012), शिलांग (2019) और पोर्ट ब्लेयर (2019) में सीआरसी
8	भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), दिल्ली	2015	कोई नहीं	कोई नहीं
9	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर	2019	कोई नहीं	कोई नहीं

2.3 क्षेत्रीय केंद्रों के कार्यों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने बताया कि संस्थानों के क्षेत्रीय केंद्र मुख्य रूप से संबंधित संस्थानों की विशेषज्ञता के क्षेत्र में पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं और उनमें से कुछ मानव संसाधन विकास पाठ्यक्रम भी संचालित करते हैं। अब तक विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के 11 क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

2.4 जहां तक नए एकीकृत क्षेत्रीय केन्द्रों (सीआरसी) की स्थापना का संबंध है, विभाग द्वारा समिति को लिखित उत्तर के माध्यम से सूचित किया गया था कि वर्ष 2014-15 से सरकार द्वारा निम्नलिखित 13 नए सीआरसी अनुमोदित किए गए हैं:-

"(i) 2015 में राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) में सीआरसी
(ii) 2015 में नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) में सीआरसी
(iii) 2016 में दावणगेरे (कर्नाटक) में सीआरसी
(iv) 2016 में नागपुर (महाराष्ट्र) में सीआरसी
(v) 2016 में नाहरलागुन (अरुणाचल प्रदेश) में सीआरसी
(vi) 2017 में अगरतला (त्रिपुरा) में सीआरसी
(vii) 2017 में रांची (झारखंड) में सीआरसी
(viii) 2018 में गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में सीआरसी
(ix) 2018 में बलांगीर (ओडिशा) में सीआरसी
(x) 2018 में गंगटोक (सिक्किम) में सीआरसी
(xi) 2019 में पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में सीआरसी
(xii) 2019 में शिलांग (मेघालय) में सीआरसी
(xiii) 2020 में इंफाल (मणिपुर) में सीआरसी"

2.5 इन सीआरसी की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों और उनके कार्य करना शुरू करने के समय के संबंध में, समिति को अन्य बातों के साथ-साथ विभाग द्वारा सूचित किया गया कि:-

"विभाग मांग और आवश्यकता के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सीआरसी की स्थापना करता है बशर्ते संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नि:शुल्क अपेक्षित भूमि और अस्थायी आवास का प्रावधान किया जाता हो। सीआरसी की स्थापना और संचालन

की पूरी लागत विभाग द्वारा वहन की जाती है। अब तक, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 21 सीआरसी अनुमोदित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ नए सीआरसी स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।"

2.6 सीआरसी की भूमिका और कार्यों के बारे में पूछे जाने पर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:-

"इनका मेन कार्य एक्सटेंशन आउटरीच का है, क्योंकि हर जगह नैशनल इन्स्ट्टियूट्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए डिफरेंट नैशनल इन्स्ट्टियूट्स की सेवाएं हम कम्पोज़िट रीजनल सेंटर्स के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।"

2.7 उन्होंने यह भी बताया कि:-

"कम्पोजिट रीहैबिलिटेशन सेंटर्स के माध्यम से सभी डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित लोगों को सर्विसेज़ प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इसके साथ ही रीहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, वर्कर्स और फन्कशनिरीज़ को भी ट्रेन किया जाता है। रीहैबिलिटेशन का काम बहुत ही टैक्निकल होता है, इसलिए उसकी बाकायदा ट्रेनिंग यहां से की जाती है। इसी तरह उन्हीं पर्सनल्स को ट्रेन करने के लिए एजुकेशन और स्क्लि डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी सीआरसीज़ के माध्यम से चलाया जाता है। ये अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा काम है। डिसेबल्ड और चैलेन्जड व्यक्ति और उसके पैरेन्ट्स के लिए उसकी समावेशी प्रगति के लिए कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करना भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम है, जोकि सीआरसीज़ निभा रहे हैं।"

2.8 यह पूछे जाने पर कि क्या सीआरसी से सम्बंधित बुनियादी ढांचा केंद्रों की उनके सुचारू कार्यकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

(i) पीपीयूएनआईपीपीडी के सीआरसी, लखनऊ से सम्बंधित बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है।

(ii) एनआईएलडी, कोलकाता के सीआरसी, पटना के 100 बिस्तरों वाले छात्रावास भवन जी +1 का निर्माण प्रक्रिया में है और अगस्त, 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

(iii) सीआरसी, सुंदरनगर (एनआईईपीवीडी) के अतिरिक्त नए भवन और सीआरसी, गोरखपुर (एनआईईपीवीडी) के नए भवन मार्च, 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है।

(iv) एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई के क्षेत्रीय केंद्रों और सीआरसी से संबंधित बुनियादी ढांचा निम्नानुसार है:-

(a) आरसी, नोएडा किराये के आधार पर एनआईईपीआईडी, आरसी के बुनियादी ढांचे पर कार्य कर रहा है।

(b) सीआरसी अहमदाबाद: कार्यालय भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने के चरण में है।

(c) सीआरसी नागपुर: सीआरसी नागपुर को स्थायी भवन निर्माण के लिए भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। सीआरसी नागपुर भूमि कर के मुद्दों को निपटाने और निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया में है। बजट की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।

(v) वर्तमान में दावणगेरे और राजनंदगांव में सीआरसी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आवंटित अस्थायी भवनों से कार्य कर रहे हैं। चूंकि मौजूदा बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है, इसलिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने राज्य सरकारों द्वारा नि:शुल्क आबंटित भूमि पर स्थायी भवनों के निर्माण का अनुमोदन किया है। सीपीडब्ल्यूडी को निधियों की पहली किस्त जारी कर दी गई है और 2 वर्षों के भीतर निर्माण पूरा हो जाएगा।

(vi) वर्तमान आईएसएलआरटीसी के लिए क्षेत्र को वर्ष 2021 में एनएसआईसी ओखला में पट्टे पर लिया गया है।

2.9 वर्ष 2020-21 से एकीकृत क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) को राष्ट्रीय संस्थानों में विलय कर दिया गया है। जब समिति ने इसके कारणों के बारे में पूछा क्योंकि यह सीआरसी की वित्तीय स्वायत्तता को प्रभावित करेगा, तो विभाग ने बताया कि:-

"वर्ष 2020-21 से पहले, सीआरसी को दिव्यांगजन कार्यान्वयन योजना अधिनियम (एसआईपीडीए) के तहत वित्त पोषित किया गया था। विभाग के वित्त प्रभाग के परामर्श

से वर्ष 2020-21 से उनके वित्तपोषण सहयोग को योजना से गैर-योजना घटक में स्थानांतरित कर दिया गया था और अब उन्हें राष्ट्रीय संस्थानों के लिए बजट प्रावधानों के अंतर्गत वित्त पोषित किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित विशिष्ट निर्णय भी लिए गए हैं:-

(i) सीआरसी संबंधित एनआईएस के शासी ढांचे के अनुसार शासित होंगे और संबंधित एनआईएस के निदेशक सीआरसी के मामलों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे।

(ii) एनआई संबंधित सीआरसी के भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी करेगा।

(iii) सीआरसी की भौतिक परिसंपत्तियों, वित्तीय और अन्य संसाधनों और संबंधित एनआई का समेकन होगा जो कार्मिक शक्ति और अन्य संसाधनों के संदर्भ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लाभदायी होगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 से एनआई और संबंधित सीआरसी के समेकित खाते और वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

(iv) उत्तरदायित्व के उद्देश्य को बढ़ाने के लिए यह भी निर्णय लिया गया कि सीआरसी के लिए सहायता अनुदान संबंधित एनआईए के माध्यम से जारी किया जाएगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियां एक जगह न रुके, एनआई को दो कार्य दिवसों के भीतर संबंधित सीआरसी को निधि जारी करना होगा।"

2.10 वर्तमान राष्ट्रीय संस्थानों/सीआरसी की अवसंरचना परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के संबंध में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने लिखित उत्तर में सूचित किया कि निम्नलिखित कार्य प्रगति पर हैं:-

1.	एनआईईपीएमडी, चेन्नई में एससी/एसटी भवन
2.	एनआईएमएचआर, सीहोर का भवन
3.	सीआरसी, पटना का छात्रावास भवन
4.	सीआरसी, अहमदाबाद के कार्यालय भवन का निर्माण
5.	एसवीएनआईआरटीएआर, कटक में पुनर्वास सेवा भवन के लिए 100 बिस्तरों

	वाले एनेक्सी का निर्माण
6.	एसवीएनआईआरटीएआर, कटक में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
7.	सीआरसी, सुंदरनगर का नया भवन
8.	सीआरसी, गोरखपुर का नया प्रशासनिक भवन
9.	एनआईईपीवीडी, देहरादून में नए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (टीसीएबी) का निर्माण
10.	ऊर्ध्वाधर विस्तार-शैक्षणिक खंड (विशेष शिक्षा), एनआईईपीवीडी, देहरादून
11.	सेंसरी गार्डन, एनआईईपीवीडी, देहरादून
12.	एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावास भवन (एससी/एसटी पूंजी के तहत) का निर्माण
13.	सीआरसी, राजंदगांव के लिए स्थायी भवन का निर्माण
14.	सीआरसी, दावणगेरे के लिए स्थायी भवन का निर्माण

2.11 यह पूछे जाने पर कि विभाग छोटे शहरों में नहीं बल्कि बड़े शहरों में क्षेत्रीय केंद्र/एकीकृत क्षेत्रीय केंद्र क्यों खोल रहा है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव ने बताया कि:-

"मुद्दा नोट किया गया है और हम तदनुसार काम करेंगे।"

2.12 सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने 22 जनवरी, 2022 को अपनी अध्ययन यात्रा के दौरान राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगता अधिकारिता संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई के कामकाज के बारे में उनकी टिप्पणियों के आधार पर कुछ सुझाव दिए थे। समिति ने संस्थान में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन, माता-पिता के लिए प्रतीक्षालय का प्रावधान करने और हाइड्रो थेरेपी यूनिट की स्थापना का सुझाव दिया था।

2.13 समिति के सुझावों पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर, एनआईईपीएमडी के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष बताया कि:

> ".....आज के दिन उसकी शुरुआत हो गई है। इस साल से एनआईपीएमडी चेन्नई में मिड-डे-मील की सुविधाएँ लागू हो गई हैं। इसलिए स्टेट के बच्चो को मिड-डे-मील मिलेगा। ...दूसरा ऑब्जरवेशन था कि पैरेंट मीटिंग हॉल होना चाहिए, जहाँ पेरेंट्स आए और वहाँ बैठ सकें। हम लोगों ने उसे तैयार करा लिया है जिसे सीएसआर फंडिंग के तहत किया गया है।"

2.14 विभाग ने यह भी बताया कि हाइड्रो थेरेपी यूनिट का निर्माण पूरा हो गया है और वर्तमान में इसका परीक्षण चल रहा है।

2.15 समिति नोट करती है कि बहुदिव्यांगता के क्षेत्र में विशेषीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 5 राष्ट्रीय संस्थानों के 11 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्गत आउटरीच और विस्तार केन्द्रों के रूप में स्थापित किए जाने के लिए 21 समग्र क्षेत्रीय केन्द्रों को अनुमोदित किया गया है। इनमें से 13 समग्र पुनर्वास केंद्रों को वर्ष 2014-15 से अनुमोदित किया गया है। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों और समग्र पुनर्वास केंद्रों (सीआरसी) की अवसंरचना पर्याप्त नहीं है क्योंकि इनमें से कई केंद्र किराये/अस्थायी भवनों में चल रहे हैं और कई सीआरसी के भवन निर्माणाधीन भी हैं। समिति को सूचित किया गया है कि सीआरसी की स्थापना और संचालन की लागत पूरी तरह से विभाग द्वारा वहन की जाती है। साथ ही, एक प्रावधान यह निर्धारित करता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीआरसी की स्थापना की जाएगी, यदि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि और अस्थायी आवास निशुल्क प्रदान किए जायेंगे। समिति का मानना है कि ऐसी स्थिति से सीआरसी की स्थापना में विलंब हो सकता है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि विभाग एक तंत्र विकसित करे ताकि अनुमोदित सीआरसी समयबद्ध तरीके से स्थापित किए जा सकें। चूंकि सीआरसी की अवसंरचना के

निर्माण में समय लगता है, इसलिए विभाग एक अस्थायी उपाय के रूप में सरकार द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक गृहों/बाल वाटिकाओं/सीजीएचएस औषधालयों अथवा धर्मार्थ संस्थाओं जैसे रोटरी क्लब, हेल्पेज इंडिया आदि के परिसरों का उपयोग कर सकता है ताकि राष्ट्रीय संस्थानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। समिति को विश्वास है कि कुछ संगठन, यदि सभी नहीं, तो सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देंगे और इस तरह की पहल के लिए जगह प्रदान करेंगे। यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई के अपने अध्ययन दौरे के दौरान संस्थान के लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं जैसे मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन, माता-पिता के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण और संस्थान में हाइड्रो थेरेपी यूनिट की स्थापना के बारे में कुछ निर्देश दिए थे। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि विभाग/संस्थान द्वारा उनके द्वारा की गई सभी टिप्पणियों पर कार्रवाई की गई है और आशा है कि राष्ट्रीय संस्थान लाभार्थियों से उनकी आवश्यकता के अनुसार नियमित रूप से उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिक्रिया लेंगे।

2.16 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) को वर्ष 2020-2021 से राष्ट्रीय संस्थानों के साथ विलय कर दिया गया है। समिति यह जानना चाहती है कि क्या इस उपाय से इच्छित उद्देश्यों को पूरा किया गया है। समिति यह भी चाहती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समग्र क्षेत्रीय केन्द्र खोलने के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाना चाहिए और उन पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए और यदि किसी प्रस्ताव को अनुमोदित करने में कोई मुद्दा उठता है तो उन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से निपटाया जाना चाहिए ताकि सीआरसी की स्थापना का उद्देश्य विफल न हो।

अध्याय - तीन

लाभार्थियों की तुलना में बजटीय आवंटन

3.1 'राष्ट्रीय संस्थानों को विभाग शीर्ष 'राष्ट्रीय संस्थान को सहायता' के तहत सहायता अनुदान प्रदान की जाती है। 2017-18 से 2021-22 तक राष्ट्रीय संस्थान से संबंधित बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का विवरण निम्नानुसार है: -

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2017-2018	214.74	251.38	251.39
2018-2019	313.02	357.97	327.19
2019-2020	309.95	330.50	304.79
2020-2021	360.00	260.75	256.81
2021-2022	319.00	332.50	329.50
कुल	-	-	1469.68

3.2 वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक प्रत्येक राष्ट्रीय संस्थान को जारी सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है: -

(करोड़ रुपये में)

एनआई का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान	48.51	44.41	46.45	39.36	44.96	298.21

राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता	28.09	31.82	30.35	26.74	26	197.87
अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई	33.07	38.3	35.71	33.18	35.55	231.58
राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद	23.85	31.57	25.45	25.95	28.62	169.11
स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक	32.28	37.68	33.49	32.65	39.57	238.37
पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी),	26.1	29.05	26.95	20.88	27.2	165.13

दिल्ली						
राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई	30.26	43.86	34.84	27.2	33.26	218.69
भारतीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली	4.5	4.85	4.2	3.88	6.95	24.38
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, मध्य प्रदेश	0	0	17.25	22.72	9.88	49.85
कुल	226.66	261.54	254.69	232.56	251.99	1593.2

3.3 वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक विभिन्न समग्र क्षेत्रीय केंद्रों को जारी सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है: -

(लाख रुपये में)

सीआरसी का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी	255	233.75	213.4	232	184	1796.06
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, सुंदरनगर	693.75	397	396.9	190	678.52	3272.75

सीआरसी का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, भोपाल	330	205	215	215.65	237.51	2066.53
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, श्रीनगर	165	225	110	275.5	751.38	3074.33
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ	127	1140.25	397.46	175.98	259.38	2885.28
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, पटना	150	524.61	841.53	58.15	278.55	3485.17
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, अहमदाबाद	107	604.02	135.58	223.77	997.25	2334.62
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, कोझीकोड	214	1053	645.5	297.59	419.11	3605.29
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, राजनंदगांव	102	134	176.15	94.2	955.47	1598.07
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, नेल्लोर	76.45	923.29	363.14	82.31	281.06	2363.67
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, डेवंगेरे	82.5	151.5	1 85	158.67	996.39	1634.06
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, नागपुर	90	163.2	841.56	29.27	72	1246.33
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, त्रिपुरा	80	90	70	41.27	70	351.27
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, गोरखपुर	0	634	184.04	56.5	1149.84	2024.38
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, सिक्किम	0	0	75	0.00	59.38	134.38

सीआरसी का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, रांची	0	36.75	42.5	143.37	126	348.62
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, बलांगीर	0	50	12.5	7.00	58.00	127.5
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, अंडमान एवं निकोबार	0	0	105	76.75	62	243.75
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, शिलांग				22	42.82	64.82
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, मणिपुर				44.99	73	117.99
कुल	**2472.7**	**6565.37**	**5010.26**	**2424.97**	**7751.66**	**32774.87**

3.4 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक प्रत्येक राष्ट्रीय संस्थान के लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:-

(लाख रु. में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	लाभार्थियों की संख्या					
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
1	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून	3.02	2.37	2.76	2.51	3.04	13.69
2	राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता	2.25	2.85	2.77	0.78	1.25	9.90

3	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई	3.54	3.26	3.92	2.22	4.30	17.24
4	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद	3.33	3.63	3.60	2.33	3.53	16.43
5	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक	3.33	3.05	3.43	1.09	1.90	12.80
6	पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली।	1.33	1.79	1.87	0.78	0.82	6.60
7	राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई	2.43	2.53	2.70	1.64	3.51	12.80
8	भारतीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली	लागू नहीं	0.01	0.04	0.47	0.56	1.08
9	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर ,	लागू नहीं	लागू नहीं	0.04	0.05	0.07	0.16

	मध्य प्रदेश						
	कुल	19.24	19.49	21.13	11.88	18.97	90.71

3.5 इसी तरह, वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक समग्र क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) के लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:-

(लाख में)

सीआरसी का नाम	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**कुल**
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी	0.30	0.31	0.32	0.18	0.19	1.96
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, सुंदरनगर	0.45	0.87	0.99	0.45	0.54	3.52
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, भोपाल	0.75	0.72	0.35	0.39	0.58	3.13
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, श्रीनगर	0.34	0.36	0.46	0.14	0.50	2.54
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ	0.55	0.50	0.41	0.18	1.78	4.04
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, पटना	0.14	0.12	0.11	0.11	0.31	1.25
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, अहमदाबाद	0.12	0.22	0.22	0.15	0.33	1.16
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, कोझीकोड	0.40	0.43	0.35	0.79	0.46	3.13
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, राजनंदगांव	0.33	0.45	0.48	0.23	0.40	2.16
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, नेल्लोर	0.26	0.36	0.53	0.13	0.28	1.77

समग्र क्षेत्रीय केंद्र, डेवंगेरे	0.06	0.13	0.16	0.09	0.20	0.64
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, नागपुर	0.52	0.38	0.36	0.36	0.89	2.54
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, त्रिपुरा	0.00	0.05	0.14	0.07	0.08	0.34
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, गोरखपुर	0.00	0.12	1.47	1.04	1.36	3.99
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.22
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, रांची	0.00	0.00	0.00	0.09	0.18	0.27
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, बलांगीर बलांगीर	0.00	0.00	0.00	0.06	0.13	0.19
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, अंडमान एवं निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03	0.11
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, शिलांग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
समग्र क्षेत्रीय केंद्र, मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
कुल	**4.22**	**5.03**	**6.33**	**4.53**	**8.52**	**33.04**

3.6 वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक राष्ट्रीय संस्थानों और लाभार्थियों को सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	कुल सहायता अनुदान जारी (रा.सं) (करोड़ रुपये में)	कुल लाभार्थी (रा.सं) (लाख में)	कुल सहायता अनुदान जारी (स.क्षे.के.) (करोड़ रुपये में)	कुल लाभार्थी (स.क्षे.के.) (लाख में)
2014-15	128.61	10.52	13.52	1.11

2015-16	104.27	11.35	24.61	1.12
2016-17	132.87	16.98	47.37	2.17
2017-18	226.66	19.24	24.73	4.22
2018-19	261.54	19.49	65.65	5.03
2019-20	254.69	21.13	50.10	6.33
2020-21	232.56	11.88	24.25	4.53
2021-22	251.99 (वर्ष 2014-15 से 96% वृद्धि)	18.97 (वर्ष 2014-15 से 80% वृद्धि)	77.52 (वर्ष 2014-15 से 473% वृद्धि)	8.52 (वर्ष 2014-15 से 667 % वृद्धि)
कुल	**1593.20**	**129.56**	**327.75**	**33.04**

2020-21 के संबंध में जारी सहायता अनुदान में गिरावट तीसरी तिमाही तक प्रत्येक तिमाही में सहायता अनुदान को 15% तक जारी करने पर प्रतिबंध और सामान्य कटौती के कारण है।

3.7 यह पूछे जाने पर कि किन कारणों से कुछ सीआरसी में लाभार्थी अन्य केंद्रों की तुलना में कम थे, जबकि ऐसे सीआरसी में सहायता अनुदान अधिक थी, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने समिति के समक्ष बताया कि:-

> "इसका रिव्यू मैंने अपने स्तर पर किया था और उसमें जब हमने पटना का रिव्यू किया तो उनसे यही कहा कि आपके यहां लाभार्थियों की जो संख्या है, उसे इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। आपको अपनी आउट-रीच एक्टिविटीज और बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों को यह पता चल सके कि आप यहां पर ये सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे वहां पर जरूरतमंद लोग आकर उन सेवाओं का लाभ उठा सकें।"

3.8 यह पूछे जाने पर कि क्या राष्ट्रीय संस्थानों के लिए किया गया बजटीय आवंटन संस्थानों की आवश्यकताओं के अनुरूप है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सहायक उपकरणों की लागत तेजी से बढ़ रही है और मान्यता प्राप्त दिव्यांगता का दायरा बढ़ गया है, विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) के लिए किया गया बजटीय आबंटन अभी तक योजनाबद्ध कार्यकलापों के लिए पर्याप्त है। पिछले कुछ वर्षों में एनआई के लिए बजटीय आबंटन धीरे-धीरे बढ़ रहा है ताकि वे अपनी गतिविधियों को और अधिक बढ़ाने में सक्षम हो सकें।"

3.9 यह पूछे जाने पर कि क्या पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता अनुदान निर्धारित प्रावधान के अनुसार है कि कुल अनुदान का न्यूनतम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों को दिया जाना चाहिए, समिति को सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा साक्ष्य के दौरान सूचित किया गया था कि:-

"यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अब हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। नार्थ ईस्ट के लिए हमारी जो ईयरमार्क ग्रांट होती है, सुविधाओं की कमी सहित कई कारणों से हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर उदाहरण के लिए अन्य इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे तो उनका भी हम थोड़ा सा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इस साल नॉर्थ ईस्ट में सारा पैसा, जो उनके लिए एज पर रूल ईयरमार्क्ड 10 परसेंट है, उसको खर्च करने के लिए हमने दो-तीन चीजें की हैं।"

3.10 राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अपनाए गए जागरूकता तंत्र के संबंध में, समिति को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया था कि:-

"संस्थान के पांच ऑब्जेक्टिव हैं, उसमे एक मेन मुद्दा अवेयरनेस क्रिएशन है। डिसैबिलिटीज से अर्ली इंटरवेंशन अर्ली डाइग्नोसिस के लिए हम ऱाज्य सरकार के साथ कोलेबोरट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेबल पर डिस्ट्रिक्ट कलक्टर एंड असिस्टेंड डायरेक्टर के साथ कोलेबोरट करके पैम्पलेट्स और पोस्टर बांटते हैं। तेलंगाना की संस्था में सीदीपीओज में टीओटी दी/इसमें सुपरवाइजर, नीचे लैबल पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग मिली। राज्य सरकार के साथ मिलकर हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 1500 एनजीओज और एसएसए स्कूल्स रजिस्टर्ड हैं। हमारे पास जो भी अवेयरनेस मेटीरियल है, हम सबको देते हैं। गांवों या डिस्ट्रिक्ट्स में एनजीओज को

हम अपने लेबल पर फ्री पोस्टर्स उपलब्ध करवाते हैं ताकि हर जगह अवेयरनेस क्रिएट करे।"

3.11 इस संबंध में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव ने आगे बताया कि:-

"इसके अलावा वैबसाइट्स भी हैं। जो एक्सेस कर सकते हैं।"

3.12 समिति बजटीय आवंटनों के पूर्ण उपयोग में अंतर को जानकर निराशा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग राष्ट्रीय संस्थानों और एकीकृत क्षेत्रीय केंद्रों के संबंध में 2018-19 से 2021-22 तक "राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता" के अंतर्गत सहायता अनुदान खर्च करने में विफल रहा, और 1281.72 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से 1218.29 करोड़ रुपये खर्च किए जा सके। समिति यह भी नोट करती है कि अधिकांश राष्ट्रीय संस्थानों को जारी सहायता अनुदान 2017-18 से 2021-22 के दौरान लगभग स्थिर रहा है, जबकि राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान के संबंध में यह वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 में कम हो गया। समिति यह जानकर व्यथित है कि एकीकृत क्षेत्रीय केंद्रों की स्थिति भी यही है क्योंकि एकीकृत क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी का व्यय वर्ष 2018-19 में 233.75 लाख रुपये से घटकर वर्ष 2021-22 में 184.00 लाख रुपये हो गया। लखनऊ, पटना, कोझीकोड़े, नेल्लोर, नागपुर, सिक्किम, सुंदरनगर, राजनांदगांव, त्रिपुरा, गोरखपुर और बलांगीर के एकीकृत क्षेत्रीय केंद्रों पर व्यय भी वर्ष 2020-2021 में कम हो गया। समिति उन कारणों को समझने में असमर्थ है जिनके कारण जारी सहायता अनुदान को खर्च नहीं किया जा सका, विशेष रूप से जब इन संस्थानों को दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधनों के विकास, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने, अनुसंधान करने आदि की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और ये ऐसा क्षेत्र है जिसके आपार कार्यकलापों को करने के लिए अनंत संभावनाएं है। विभाग ने न केवल निधियों के उपयोग में खराब प्रदर्शन किया, बल्कि लाभार्थियों के संदर्भ में भी

स्थिति निराशाजनक पाई गई। वर्ष 2017-18 में लाभार्थियों की कुल संख्या 19.24 लाख थी, जो वर्ष 2021-22 में दो नए संस्थानों अर्थात भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, दिल्ली और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर की स्थापना के बाद भी घटकर 18.97 लाख रह गई। समिति सीआरसी में लाभार्थियों की संख्या से भी प्रभावित नहीं है क्योंकि विभिन्न एकीकृत क्षेत्रीय केन्द्रों में लाभार्थियों की संख्या कम हो गई। समिति सीआरसी में लाभार्थियों की संख्या से भी प्रसन्न नहीं है क्योंकि विभिन्न एकीकृत क्षेत्रीय केन्द्रों में लाभार्थियों की संख्या कम हो गई है। समिति का यह दृढ़ मत है कि यदि इन संस्थानों/सीआरसी ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो निधियों के आवंटन में वृद्धि हुई होती क्योंकि सहायक उपकरणों की कीमत बढ़ रही है और दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद दिव्यांगता का दायरा काफी बढ़ गया है। स्पष्ट रूप से, एनआई और सीआरसी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। संभवतः, नवस्थापित राष्ट्रीय संस्थाओं भी समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही है। इसलिए, समिति मानती है कि सभी राष्ट्रीय संस्थानों/आरसी/सीआरसी द्वारा बजटीय आबंटन/सहायता अनुदान का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए प्रभावी उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं से अधिक से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हों। समिति की इच्छा यह भी है कि विभाग पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करे और यह सुनिश्चित करे कि विभाग कुल व्यय का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों में खर्च करे और देश के अन्य भागों के छोटे शहरों वाले क्षेत्र में सीआरसी स्थापित करने के लिए उपयुक्त उपाय करे ताकि दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को सार्वभौमिक रूप से पूरा किया जा सके।

अध्याय - चार

संकाय/कर्मचारी

4.1 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों/क्षेत्रीय संस्थानों/समग्र पुनर्वास केन्द्रों में संकाय सदस्यों, कर्मचारियों की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है:-

1. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान

(क) सीआरसी, लखनऊ

5 सहायक प्रोफेसरों की स्वीकृत संख्या के बजाय केवल दो सहायक प्रोफेसर हैं। 5 व्याख्याताओं (1 स्थायी, 4 आउटसोर्स) की स्वीकृत संख्या के बजाय वर्तमान में समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में 4 व्याख्याता मौजूद हैं।

(ख) सीआरसी, श्रीनगर

केन्द्र द्वारा संविदा के आधार पर अनुमोदित व्यावसायिक कर्मचारी/संकाय का चयन किया गया है। तथापि, स्वीकृत रिक्त नियमित स्टाफ/संकाय का चयन प्रक्रियाधीन है क्योंकि नियमित पदों के बहाली के लिए प्रस्ताव संस्था के सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया गया है।

2. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान

सीआरसी	स्वीकृत		रिक्त	
	नियमित	संविदात्मक	नियमित	संविदात्मक
कटक	20	19	12	10
रांची	0	28	0	12
बलांगीर	0	32	0	12
इंफाल	0	27	0	14

इसके अलावा कर्मचारी निरीक्षण इकाई (एसआईयू), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अक्टूबर, 2016 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें स्वीकृत पदों, समाप्त किए गए पदों और नए पदों के आकलन का विवरण दिया गया है:-

क्रमांक	**समूह**	**स्वीकृत पदों की संख्या**	**समाप्त पदों की संख्या**	**एसआईयू द्वारा सृजित नए पदों की संख्या**	**एसआईयू आकलन के बाद स्टाफ की संख्या**
1	समूह क	36	02	23	58
2.	समूह ख	76	06	33	102
3.	समूह ग (समूह घ को ग्रुप सी के रूप में पुनर्वर्गीकृत सहित)	170	98	15	87
	कुल	282	106	71	247

3. राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगता संस्थान

केंद्र	**स्वीकृत फैकल्टी**	**भरे पद**	**रिक्त**	**स्थिति**
सीआरसी, पटना	06	01	05	04 पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाना है। 1 पोस्ट फिर से विज्ञापित।
सीआरसी, त्रिपुरा	06	03	03	03 पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाना है।

आरसी, आइजोल	06	02	04	02 पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाना है। 2 पदों का पुनर्विज्ञापन किया जाना है।
सीडीएस, आइजोल	08	शून्य	08	06 पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाना है। 2 पदों का पुनर्विज्ञापन किया जाना है।

4. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान

	स्वीकृत	भरे पद	रिक्त
सीआरसी, गोरखपुर	19	17	02
सीआरसी, सिक्किम	19	08	11
सीआरसी, सुंदरनगर	19	14	05

सभी पद संविदात्मक है।

5. अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् और श्रवण दिव्यांगजन संस्थान

	स्वीकृत	भरे पद	रिक्त
मुख्यालय	51	40	11
सीआरसी, भोपाल	10	05	05
सीआरसी, अहमदाबाद	10	04	06
सीआरसी, नागपुर	11	04	07

6. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान

	स्वीकृत	भरे पद	रिक्त

मुख्यालय	140	81	59
सीआरसी, दावणगेरे	19	11	8
सीआरसी, नेल्लोर	19	09	10
सीआरसी राजनांदगाँव	19	13	6

7. राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान

	स्वीकृत	भरे पद	रिक्त
मुख्यालय	19	14	05
अंडमान एवं निकोबार	17	11	06
सीआरसी, शिलांग	19	07	12

8. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान

	स्वीकृत	भरे पद	रिक्त
समूह क	10	04	06

4.2 वित्त मंत्रालय की कर्मचारी निरीक्षण इकाई (एसआईयू) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संस्थानों के कर्मचारियों की संख्या के आकलन अध्ययन की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने बताया कि:-

"व्यय विभाग की कर्मचारी निरीक्षण इकाई (एसआईयू) ने निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थानों में कार्य मापन अध्ययन/कर्मचारी अध्ययन किया है:-

राष्ट्रीय संस्थान का नाम	एसआईयू अध्ययन का समय	प्रतिवेदन प्रस्तुति की तिथि	एसआईयू की प्रमुख सिफारिशें	
			समाप्त किये जाने वाले पद	सृजित किये जाने वाले पद

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून	मार्च 2015 के दौरान	06.05.2016	71	80
स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान)एसवीएनआईआरटीएआर(, कटक	मई-जून 2016 के दौरान	21.10.2016	106	84
राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता	2016 के दौरान	16.12.2016	56	41
राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान)एनआईईपीआईडी(, सिकंदराबाद	अगस्त और अक्टूबर 2016 के दौरान	20.03.2017	24	23
अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई	जनवरी-फरवरी 2017 के दौरान	28.09.2017	44	25

4.3 एसआईयू द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने बताया कि:

"(क) पदों की समाप्ति

मौजूदा पदधारी द्वारा सेवानिवृत्त होने/त्यागपत्र देने/पदोन्नत होने (जो भी पहले हो) पर पद खाली करने के बाद से ही एसआईयू की सिफारिशों के अनुसार, संबंधित संस्थानों ने पदों को समाप्त करना शुरू कर दिया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

राष्ट्रीय संस्थान का नाम	पद जो समाप्त किए जा चुके हैं	एसआईयू की सिफारिशों के अनुसार ऐसे पद जो अभी तक समाप्त नहीं की गए हैं
(एनआईईपीवीडी), देहरादून	61	10
)एसवीएनआईआरटीएआर(, कटक	88	18
(एनआईएलडी), कोलकाता	40	16
)एनआईईपीआईडी(, सिकंदराबाद	18	6
(एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई	35	9

(ख) पदों का सृजन

05 संस्थानों के संबंध में एसआईयू की सिफारिशों के अनुसार पदों के सृजन का प्रस्ताव वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक एक से अधिक अवसरों पर व्यय विभाग को भेजा गया था, हालांकि इसे मंजूरी नहीं दी गई थी।"

4.4 सभी संस्थानों/सीआरसी में प्रशिक्षण संकाय और गैर-शिक्षण कर्मचारी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारणों की जांच किए जाने पर समिति को विचार-विमर्श के दौरान सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा सूचित किया गया था कि:-

"मानव संसाधनों की कमी है। हम पाठ्यक्रम विकसित कर रहे हैं। हम उन्हें यथासंभव प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि छात्र आ सकें। लेकिन, मेरी विनम्र राय में, हर पाठ्यक्रम का रोजगार के साथ संबंध है। हमें संस्थानों में उनकी आवश्यकता है लेकिन हमें गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति की आवश्यकता है और हमें उन पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए संस्थानों की भी आवश्यकता है। अत: इन सभी बातों को मिलाकर वर्तमान में मानव संसाधन उपलब्धता में कमी आ रही है। हम इस अंतर को पाटने के लिए इस दिशा में काम कर रहे हैं।"

4.5 समिति यह जानकर निराश है कि अधिकांश संस्थानों में संकाय सदस्यों की संख्या उनकी स्वीकृत संख्या की तुलना में बहुत कम है। दशकों पहले स्थापित किए गए संस्थानों में भी अपर्याप्त संकाय सदस्य का होना चिंताजनक स्थिति है। सीआरसी में भी स्थिति अच्छी नहीं है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान के सभी सीआरसी के लिए स्वीकृत पद संख्या 26 है, जिनमें से 20 रिक्त हैं। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के सीआरसी में 20 नियमित पदों और 106 संविदा पदों की स्वीकृत संख्या में से 8 नियमित पद और 58 संविदा पद रिक्त हैं। चूंकि अन्य संस्थानों/सीआरसी में स्थिति समान रूप से खराब है, इसलिए समिति का सुझाव है कि विभाग को कारणों की पूरी तरह से जांच करने, जल्द से जल्द उनका समाधान करने और रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है ताकि छात्रों और लाभार्थियों को परेशानी न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में एक निश्चित समय सीमा में भर्ती की जाए और इसे वर्षों तक लटकाए न रखा जाए। समिति ने यह भी पाया कि स्वीकृत/वास्तविक पदों की संख्या के संबंध में सूचना संस्थानों की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है और उसका दृढ़ मत है कि ऐसी सूचना संस्थानों की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संदर्भ में, समिति ने ध्यान दिया कि कर्मचारी निरीक्षण इकाई, वित्त मंत्रालय के द्वारा 5 राष्ट्रीय संस्थानों के शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों का मूल्यांकन अध्ययन किया गया था, जिसमें व्यय विभाग ने 2016 में इन संस्थानों में कुछ नए पदों के सृजन और कई पदों को समाप्त करने की सिफारिश की थी। समिति इस बात से आश्चर्यचकित है कि एसआईयू की सिफारिशों के आधार पर कई पदों को समाप्त कर दिया गया, परंतु नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई। समिति इस बात को दोहराती है कि संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारियों और संकाय की संख्या वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए

ताकि कर्मचारियों की कमी के कारण इन संस्थानों के कार्यकरण में बाधा न आए। इसलिए, समिति चाहती है कि विभाग को वित्त मंत्रालय के साथ इन संस्थानों में पदों के सृजन के मामले को एक बार पुनः उठाना चाहिए क्योंकि क्योंकि संस्थान अपेक्षित कार्मिकों की कमी के कारण कार्य करने में सक्षम नहीं हैं तो संस्थानों की स्थापना का कोई अर्थ नहीं है।

अध्याय - पांच

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अनुसंधान परियोजनाएं

5.1 राष्ट्रीय संस्थानों के अधिदेश के अनुसार, संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों सहित सभी संस्थान दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। राष्ट्रीय संस्थान का एक उद्देश्य विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के क्षेत्र में अनुसंधान करना है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा समिति को सूचित किया गया है कि इन संस्थानों में निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं और निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

क. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान

पाठ्यक्रम

1. फिजियोथेरेपी में स्नातक डिग्री
2. व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक डिग्री
3. प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में स्नातक डिग्री
4. प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री।

हालांकि, समिति ने पाया है कि 2019-20 में 162 विभिन्न उल्लिखित पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में से वास्तविक प्रवेश 156 था। इसी तरह, 2020-21 और 2021-22 में प्रत्येक वर्ष 185 की क्षमता की तुलना में 174 प्रवेश थे। यह प्रवेश लखनऊ और श्रीनगर स्थित संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों की क्षमता के बराबर नहीं था। संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ में 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान 180 की प्रवेश क्षमता की तुलना में वास्तविक प्रवेश 152 छात्र का था।

अनुसंधान परियोजनाएं

संस्थानों के कार्यकरण के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना की संवीक्षा करने पर यह पाया जाता है कि संस्थान द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं:-

वर्ष	अनुसंधान
2004	"विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं का सामना करने संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम" पर अनुसंधान
2013-14	(i) "इफेक्टिवनेस ऑफ मिरर थिरेपी ऑन मोटर रिकवरी ऑफ अपर इक्सट्रिमिटी इन क्रोनिक स्ट्रोक पेशेन्ट्स" पर अनुसंधान (ii)"रोल ऑफ लेस अफेक्टेड अपर इक्सट्रिमिटी इन पोस्ट स्ट्रोक रिडैबिलिटेसन" पर अनुसंधान।
2014-15	(i) "इफेक्ट ऑफ एक्टविटी बेस्ड मिरर थिरेपी ऑन लोवर लिंब मोटर रिकवरी इन स्ट्रोक" में अनुसंधान (ii) "असोसिएसन ऑफ अन्थ्रोपोमेट्रिक करेक्टरिस्टिक टू फूट टाइप एण्ड स्टैटिक पॉस्चुरल बैलेंस स्ट्रेट्जी इन यांग एडल्ट्स" में अनुसंधान
2016	"ओपिनियंस एण्ड एक्सपेक्टेशंस फ्राम सेल्फ एण्ड फैमिली ऑफ अडोलसेंच गर्ल विथ लोकोमोटर डिसएबिलिटी" पर अनुसंधान
2018-19	(i)"ऑइडेंटीफाइंग एण्ड माइ्यूलेटिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैटरलिटी इन चिल्ड्रेन विथ डेवलपमेंटल डिसएबिलिटीज" पर अनुसंधान (ii)"बिल्डिंग सेंसरीमोटर फ्रेमवर्क फॉर प्लान इंगेजमेंट फॉर सेंसोरीमोटर एण्ड सोशियो-इमोशनल इन चिल्ड्रेन विथ डेवलपमेंटल एण्ड मल्टिपल डिसएबिलीटीज" पर अनुसंधान
2019-20	"न्यूरल प्लास्टीसिटी बेस्ड सेंसोरी-रिहैबिलीटेसन प्रोटोकॉल इन पोस्ट स्ट्रोक पेमिपरेसिस" पर अनुसंधान

ख. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास और अनुसंधान संस्थान

पाठ्यक्रम

संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी तीन पाठ्यक्रम संचालित करता है। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, सभी तीन पाठ्यक्रमों के लिए 170 के अनुमोदित प्रवेश की तुलना में छात्रों

की वास्तविक प्रवेश संख्या 96 थी। जबकि 2021-22 में, दो पाठ्यक्रम बंद हो गए और एक पाठ्यक्रम में 30 के अनुमोदित प्रवेश की तुलना में वास्तविक प्रवेश 15 था।

अनुसंधान परियोजनाएं

"(i) (क) बीके मॉड्यूलर प्रोस्थेसिस का विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एलिम्को को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित किया गया, उसके बाद तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बड़े पैमाने पर राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया और इसी घटक का उपयोग पूरे देश में किया जा रहा है।

(ख) बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एलिम्को को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ फोर बार लिंकेज ए. के. मॉड्यूलर प्रोस्थेसिस का विकास, जिसके बाद पूरे भारतीय संदर्भ में घटक अपनाया गया।

(ग) सरफेस रिस्पांस काइनेटिक फुट का विकास और इसे ओपीएआई द्वारा आधारित वैज्ञानिक नवाचार के रूप में सम्मानित किया जा रहा है।

(घ) एसवीएनआईआरटीएआर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स और डीएनबी, पीएमआर में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम आयोजित करके लोकोमोटर दिव्यांगता के पुनर्वास के क्षेत्र में जनशक्ति उत्पन्न करता है। यह दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और सहायक उपकरण भी प्रदान करता है।

(ii) व्यावसायिक चिकित्सा विभाग ने निम्नलिखित स्प्लिंट विकसित किए हैं: -

- सी 5 टेट्राप्लेजिक के लिए फंक्शनल फोरआर्म स्टेबलाइजर स्प्लिंट
- ग्रेडेड सुपिनेचर स्प्लिंट
- कंधे के झुकाव के लिए शोल्डर पोजिशनिंग स्प्लिंट।
- मोटर न्यूरॉन रोग में एल्बो फ्लेक्सन कॉन्ट्रेक्चर के उपचार के लिए ग्रेडेड स्टैटिक एल्बो कोनफॉर्मर ऑर्थोसिस।
- वीआईसी के उपचार के लिए एड्जस्टेबल वीआईसी स्प्लिंट।
- सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के लिए ग्रेडेड सुपरिनेटर स्प्लिंट, प्रोनेटर टाइटनेस के साथ
- ब्रैकियल प्लेक्सस इन्जरी के लिए असिस्टिव फीडर।

- टेट्राप्लेजिक्स में हाथ की टेनोडिस कार्यात्मकता को बढ़ाने के लिए ऑर्थोटिक डिवाइस।
- ऑब्सटेट्रिक ब्रैकियल प्लेक्सस इन्जरी के लिए मॉड्यूलर पोजिशनिंग सिस्टम।

(iii) फिजियोथेरेपी विभाग ने निम्नलिखित नवाचार अनुसंधान कार्य किया है:

- निचले अंग में विकिरण के साथ या बिना पीठ के निचले हिस्से में ऊपरी थोरैसिक शिथिलता की घटना।
- लेवेटर स्कैपुला रिलीज के प्रभाव प्रोलैज्ड इंटर वर्टीब्रल डिजीज के प्रबंधन में- एक अभिनव तकनीक।
- सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के पुनर्वास में संशोधित साइकिल (आउटडोर) के प्रभाव।
- कोक्सीगोडायनिया के प्रबंधन में पिरिफोर्निस और हिप फ्लेक्सर्स का प्रभाव - एक नवीन तकनीक।

(iv) शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग ने निम्नलिखित नवाचार अनुसंधान कार्य किया है:-

- सुप्रास्पिनैटस चोट में संरचनात्मक और कार्यात्मक परिणामों पर यूएसजी निर्देशित प्रोलोथेरेपी की प्रभावशीलता।
- पोस्टीरियर टिबियल नर्व पर सरफेस न्यूरो-मॉड्यूलेशन और न्यूरोजेनिक ब्लैडर के लिए पैरासैक्रल स्टिमुलेशन।
- हेक्सापॉड फिक्सेटर द्वारा अंग विकृति सुधार- एक अभिनव दृष्टिकोण
- 2 से 8 वर्ष के आयु वर्ग में उपेक्षित सीटीईवी में यूएमईएक्स फिक्सेटर विधि।
- स्थिर पैर अपहरण ब्रेस पर गतिशील की प्रभावशीलता और क्लबफुट सुधार के रखरखाव विमान में माता-पिता की सामाजिक शैक्षिक स्थिति के प्रभाव का मूल्यांकन
- प्लांटर फैसीसाइटिस के उपचार में कॉर्टिकोस्टेरॉइड पर पीआरपी के एकल इंजेक्शन की प्रभावशीलता

ग. राष्ट्रीय लोकोमोटर दिव्यांगता संस्थान

पाठ्यक्रम

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान 285 की प्रवेश क्षमता की तुलना में वास्तविक प्रवेश 166 छात्रों का था।

अनुसंधान परियोजनाएं

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर, भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आईआईईएसटी), शिबपुर, जादवपुर विश्वविद्यालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय और अन्य प्रमुख संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान परियोजनाएं संचालित की गईं।

पूरी की गई परियोजनाएं:

- इलेक्ट्रॉनिक हैंड डिसएबिलिटी स्कोरर मशीन (ई-एचडीएसएम)- परीक्षण उपकरण का प्रोटोटाइप का विकास किया गया और 33 दिव्यांजनों पर परीक्षण किया गया।

- ऊपरी अंग की अवशिष्ट मांसपेशियों के परीक्षण और प्रशिक्षण के लिए एक प्रणाली तैयार करने के लिए - मायो-ट्रेनर का एक प्रोटोटाइप विकसित किया गया और अब तक 13 एम्पुटीज पर परीक्षण किया गया है।

अनुसंधान परियोजनाओं के पूरा होने के बाद किया गया पेटेंट:

गतिशीलता विकार और सैन्य उद्देश्यों वाले व्यक्तियों हेतु लोड ऑगमेंटेशन और मोबिलिटी जनरेशन के लिए सक्रिय कूल्हे, घुटने, टखने के जोड़ वाला लोवर लिंब एक्सोस्केलेटन और और इसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया।

- सामान्य व्यक्तियों और लोकोमोटर दिव्यांग (ईडब्ल्यूएएलकेएनआईएलडी) के लिए इलेक्ट्रॉनिक पैदल मार्ग।

- बल संवेदनशील कैपेसिटेटिव सेंसर पर आधारित चाल विश्लेषण के लिए कम लागत वाले इलेक्ट्रॉनिक ऑर्थोपेडिक इंसोल।

चल रही प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं (इसरो, त्रिवेंद्रम के सहयोग से):

- इसरो स्मार्ट अंग का डिजाइन और विकास- माइक्रोप्रोसेसर इंटेलिजेंट नी जॉइंट वाली पद्धति।
- कम्पोजिट डाइनमिक मल्टी एक्सल फूट का विकास।

घ. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान

पाठ्यक्रम

विभाग की सूचना से पता चलता है कि संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र, सुंदरनगर और संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र, गोरखपुर में क्रमशः चार पाठ्यक्रम और 2 पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र, सुंदरनगर में 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान 420 के अनुमोदित प्रवेश में से केवल 118 छात्रों को प्रवेश दिया गया था। सीआरसी गोरखपुर में 2021-22 के दौरान 60 की स्वीकृत भर्ती की तुलना में वास्तविक प्रवेश 24 था। संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, सिक्किम अभी शुरू नहीं हुआ है।

अनुसंधान परियोजनाएं

संस्थान के द्वारा विगत 5 वर्षों के दौरान अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या**	**पूरी की गईं**	**चल रहीं**
2017-18	07	-	07
2018-19	26	07	19
2019-20	20	14	06
2020-21	07	03	04
2021-22	04	02	02
2022-23	04	-	04

ङ अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज

पाठ्यक्रम

विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल तीन पाठ्यक्रम संचालित करता है और संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, अहमदाबाद एक पाठ्यक्रम संचालित करता है, जबकि संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, नागपुर, लंबी अवधि के पाठ्यक्रम संचालित नहीं करता है। संयुक्त

क्षेत्रीय केंद्र, भोपाल में 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में 225 स्वीकृत प्रवेश की तुलना में वास्तविक नामांकन 140 था, जबकि सीआरसी, अहमदाबाद में 2019-2023 में 85 की प्रवेश क्षमता की तुलना में वास्तविक प्रवेश 71 था।

अनुसंधान परियोजना

(क) राष्ट्रीय और अन्य पुरस्कार प्राप्त अनुसंधान परियोजनाएं निम्नवत हैं:-

- बाधा मुक्त नगर पंचायत, बदलापुर, महाराष्ट्र।
- एकपक्षीए श्रवण दिव्यांगजनों के लिए क्रॉस हियरिंग सहायक यंत्र का विकास।
- नौकरी के लिए श्रवण दिव्यांगजनों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट।
- ई-चेकिंग की सुविधा द्वारा ऑनलाइन श्रवण मूल्यांकन।
- एडीआईपी योजना के तहत जारी किए गए पॉकेट मॉडल श्रवण यंत्रों के लिए पेंसिल बैट्री चार्ज करने के लिए सौर बैटरी चार्जर का विकास।

(ख) वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए चल रही अनुसंधान परियोजनाएं निम्नवत हैं:-

- एडीआईपी योजना के तहत कॉक्लियर इंप्लानटेशन वाले बच्चों के लिए जल्दी सुनने और संचार कौशल पर मॉड्यूल का विकास।
- हिंदी और तेलुगु में वयस्कों के लिए बैटरी अप्राक्सिया का अनुकूलन।
- श्रवण दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास के लिए अभिभावकों के सशक्तिकरण के लिए एक मॉड्यूल का विकास।
- क्रॉस डिसेबिलिटी प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम के ढांचे का विकास।
- अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि.सं. से उत्तीर्ण छात्रों की प्रोफाइलिंग करना।
- मल्टी मोडल कम्युनिकेशन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए पर्यावरण विज्ञान में बुनियादी अवधारणाओं पर सुलभ ई-सामग्री का विकास।

च. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान

पाठ्यक्रम

विभाग की सूचना के अनुसार संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, देवनागेरे में दो पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं और संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, राजनांदगांव में एक पाठ्यक्रम तथा संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, नेल्लोर में एक पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान इन पाठ्यक्रमों में 330 छात्रों की प्रवेश क्षमता की तुलना में वास्तविक प्रवेश 124 था।

अनुसंधान परियोजनाएं

संस्थान ने अब तक विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूएस-इंडिया रुपी फंड, यूनिसेफ, यूएनडीपी, आईसीएसएसआर और एसएंडटी मिशन मोड और संस्थान द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के सहयोग से 74 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की हैं।

नई परियोजनाओं के प्रस्ताव जिनके लिए धनराशि प्राप्त करनी है:

- सीखने की विशिष्ट अक्षमता वाले बच्चों की दृश्य-मोटर धारणा और संज्ञानात्मक क्षमताओं के बीच संबंध पर एक अध्ययन।
- सीखने की विशिष्ट अक्षमता (एसएलडी) के लिए अकादमिक उपलब्धि परीक्षण का विकास- शिक्षक के लिए एक उपकरण।

- उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में बौद्धिक और विकास संबंधी दुर्बलताओं वाले दिव्यांगजनों की अधिक संख्या के सटीक कारण।

छ. राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता सशक्तिकरण संस्थान

पाठ्यक्रम

समेकित क्षेत्रीय केंद्र, कोझीकोड मानव संसाधन विकास पाठ्यक्रम और केयर गिविंग में प्रमाणपत्र संबंधी तीन दीर्घकालिक पाठ्यक्रम संचालित करता है। तथापि, अनुमोदित प्रवेश की तुलना में वास्तविक प्रवेश के संबंध में सूचना अधूरी है।

अनुसंधान परियोजनाएं

बहरापन, दृष्टिहीनता और इसका प्रबंधन, तनाव प्रबंधन और क्षमता निर्माण आदि जैसे विभिन्न विषयों पर सात पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं और 50 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

ज. भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र

पाठ्यक्रम

वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान अपने दो पाठ्यक्रमों में 150 की प्रवेश क्षमता में से 94 छात्रों को नामांकित किया गया था।

झ. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, निम्नलिखित तीन पाठ्यक्रमों में 180 छात्रों की क्षमता की तुलना में वास्तविक प्रवेश 132 था।

क) केयर गिविंग में सर्टिफिकेट कोर्स - मानसिक स्वास्थ्य (सीसीसीजी)

ख) व्यावसायिक पुनर्वास- बौद्धिक अक्षमता में डिप्लोमा (डीवीआर-आईडी)

ग) समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (डीसीबीआर)

5.2 संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम संचालित करने की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए कहे जाने पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव ने विचार-विमर्श के दौरान समिति को सूचित किया कि:-

"हमारे नैशनल इंस्टीट्यूट्स पीएचडी प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड इन्क्लूडिंग पोस्ट डिप्लोमा दो तरह से कोर्सेज हैं, जो हमारे इंस्टीटूट्स में चलते हैं इसमें एमफिल, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज, डिप्लोमा ऑफ़ सर्टिफिकेट्स हैं। इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज नेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने लेवेल पर चलाते हैं। हालांकि इसमें कोर्स वगैरह की मंजूरी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ़ इंडिया के द्वारा दी जाती है और डिप्लोमा के कोर्सेज आरसीआई की तरफ से चलाए जाते हैं। वे निर्णय करते हैं कि कितनी सीटें कहां पर होंगी और सारा कोर्स उनकी तरफ से बताया जाता है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट

ग्रेजुएट में जहां-जहां पर हमारे संस्थान स्थित हैं, वहां पर जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम चलाये जाते जो डिग्री होती है, वह यूनिवर्सिटी से मिलती है।"

5.3 कोविड-19 महामारी के दौरान संस्थानों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर सचिव ने बैठक के दौरान समिति को बताया कि:-

"कोविड के समय भी जब बाकी जगह थोड़ी लॉकडाउन की स्थिति थी, तब भी हमारे संस्थान लोगों को सेवाएं प्रदान करते रहे। आगे चलकर हम अपने प्रेजेंटेशन में भी दिखाएंगे कि हमने कितने लोगों को सेवाएं प्रदान कीं और हमने इसमें टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया है। हमारे पास तीन तरह की कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं। फर्स्ट रेफरल, जिसमें हम पहली बार उनको चेक करते हैं, उसके बाद उसका फॉलो-अप ऐक्शन होता है। उसके बाद बीच में जब कोविड आ गया तो हमने उनको टेली- मेडिसिन के द्वारा भी टेक्नोलॉजी के तहत उनके प्रश्नों को हैंडल करने की कोशिश की और उनको पूरी सेवाएं प्रदान करने की कोशिश की। मैडम, हम इस बात को विशेष तौर पर जरूर बताना चाहते हैं कि पूरे कोविड के दौरान हमारे नैशनल संस्थानों में जो भी सुविधाएं दिव्यांगजनों के लिए हैं, वे सभी कार्य करती रहीं।"

5.4 संस्थान में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की व्यवहार्यता के बारे में पूछे जाने पर डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव ने विचार-विमर्श के दौरान समिति को सूचित किया कि:-

"हम ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय होंगे। यही कारण है कि हमने आरसीआई को ऐसे पाठ्यक्रमों को शुरू करने का काम सौंपा है जो अधिक लोकप्रिय हों और जिनमें रोजगार की बेहतर क्षमता हो। यही कारण है कि हमने पाठ्यक्रम में बदलाव किया। हमने इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए वहां कुछ चीजों को मिलाने की कोशिश की है। हमने जो महसूस किया है वह यह है। पहले, हम एकल दिव्यांगता के आधार पर पाठ्यक्रम विकसित कर रहे थे, जबकि अब मामले बहु दिव्यांगता के हैं। अत:, जिस व्यक्ति को 'एक्स' विकलांगता में प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसे 'वाई' विकलांगता का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए ताकि यदि कोई रोगी उस श्रेणी से आता है, तो वह उस रोगी को संभाल सके। इसलिए, हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने और इसे और अधिक समावेशी बनाने का यह एक तरीका है।"

5.5 विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं में अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा की गई प्रगति के बारे में पूछे जाने पर, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने साक्ष्य के दौरान समिति को बताया कि:-

> "रिसर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नैशनल इन्स्ट्टियूट्स की है। जो नैशनल इन्स्ट्टियूट जिस डिसेबिलिटी को फोकस करके बनाया गया है, उस पर रिसर्च करना भी उस नैशनल इन्स्ट्टियूट का काम है|"

5.6 समिति यह नोट करके निराश है कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों सहित राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अधिदेशित हैं लेकिन इसके लिए अपेक्षित संख्या में अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं हैं। लगभग सभी संस्थानों/एकीकृत क्षेत्रीय केन्द्रों में यही स्थिति है। यह संस्थानों में चलाए जा रहे विशेष रूप से ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए बड़ी चिंता का कारण है, जो बहुत समय पहले अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा ऐसे पाठ्यक्रमों को ऊंची लागत को विशेष सॉफ्टवेयर और उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसका पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। समिति को हाल ही में की गई एक पहल के बारे में सूचित किया गया है, जिसमें विभाग ने भारतीय पुनर्वास परिषद से ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करने का अनुरोध किया है जो लोकप्रिय हों और अधिक समावेशी हों ताकि बहुदिव्यांगता के मामलों पर ध्यान दिया जा सके। समिति का मानना है कि इस तरह के सुधारात्मक उपाय पहले ही किए जाने चाहिए थे। पाठ्यक्रमों के लिए अभयार्थियों की कमी का सीधा असर दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए अच्छे प्रशिक्षकों की उपलब्धता पर पड़ता है। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग को भारतीय पुनर्वास परिषद के साथ सख्ती से काम करना चाहिए और विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए ताकि संभावित छात्रों के लिए आकर्षक पाठ्यक्रम जल्दी तैयार किए जा सकें और दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षकों/काउन्सलर की वर्तमान आवश्यकता को पूरा किया

जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग को सभी संस्थानों को पाठ्यक्रमों को अच्छी तरह से प्रचारित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने का निदेश देना चाहिए ताकि भविष्य में पाठ्यक्रमों में कोई सीट खाली न रहे।

5.7 समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय संस्थानों का एक उद्देश्य विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं में अनुसंधान करना है। सहायक उपकरणों, पुनर्वास और विभिन्न दिव्यांगताओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा कई प्रमुख शोध किए गए हैं। तथापि, समिति इस बात से अप्रसन्न है कि निधियां प्राप्त नहीं होने के करण राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में तीन अनुसंधान परियोजनाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं। समिति का दृढ़ मत है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान का क्षेत्र पीछे छूट रहा है और इसलिए इस बात का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए और अधिक अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की जाएं, जो दिव्यांगजनों के जीवन को आरामदायक और आत्मनिर्भर बना सके। इसलिए समिति चाहती है कि विभाग संस्थानों के अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों पर अधिक ध्यान केंद्रित करे और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त समर्पित निधियां आवंटित करे ताकि निधियों की कमी के कारण अनुसंधान प्रभावित न हो।

5.8 समिति ने कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों (एलपीसी) के कल्याण के लिए काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन के साथ अपने विचार-विमर्श के दौरान पाया कि कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके निशक्त व्यक्ति भी दिव्यांगजनों की एक श्रेणी के हैं। परंतु दूसरों के विपरीत ऐसे व्यक्तियों में निशक्तता की प्रकृति और सीमा तय नहीं की जा सकती है क्योंकि कुष्ठ रोग समय के साथ उतरोत्तर बढ़ने वाली एक बीमारी है। समिति का मानना है कि राष्ट्रीय संस्थानों की विशेषज्ञता और व्यापक पहुंच का उपयोग एलपीसी को सेवाएं, उपचार और पुनर्वास उपलब्ध

करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान और स्वामी विवाकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान गतिशील दिव्यांगजनों के उपचार और पुनर्वास में अग्रणी हैं और उनकी निधियों का उपयोग ऐसे एलपीसी के लिए आवश्यक अनुकूल सहायता और उपकरण प्रदान करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, जो अन्यथा अत्यधिक गरीबी और सामाजिक कलंक के साथ दयनीय जीवन जीते हैं। इसके अतिरिक्त, इन संस्थानों द्वारा एलपीसी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान भी किया जा सकता है। समिति चाहती है कि उनके विशेष मामले से संबंधित विभाग की कार्य योजना से उन्हें अवगत कराया जाए।

अध्याय - छह

मानसिक स्वास्थ्य

6.1 समष्टि अर्थशास्त्र और स्वास्थ्य पर भारत के राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट, 2005 के अनुसार, भारतीय आबादी में गंभीर मानसिक बीमारी का प्रसार लगभग 6.5% है जो मोटे तौर पर 71 मिलियन लोगों (2011 में 78 मिलियन लोग) के बराबर होता है। वर्ष 2020 तक, न्यूरोसायकेट्रिक विकारों का बोझ 2015 की तुलना में 10.5% बढ़ने की आशा थी। इस संबंध में, 1984 में सिकंदराबाद में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान की स्थापना की गई थी ताकि बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए क्षमता का निर्माण किया जा सके। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान नामक एक अन्य संस्थान की स्थापना 2019 में सीहोर, मध्य प्रदेश में एक एकीकृत बहु-विषयक दृष्टिकोण का उपयोग करके मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

6.2 संस्थान की उपलब्धियों के बारे में समिति द्वारा पूछे जाने पर, विभाग द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद के संबंध में अपने लिखित उत्तर में समिति को बताया गया था कि:-

(i) "संस्थान ने वर्ष 2014 में बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों के लाभ के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री किट विकसित की है। अब तक, एनआईईपीआईडी ने पिछले 7 वर्षों के दौरान पूरे देश में 37,245 शिक्षण अधिगम सामग्री वितरित की है। संस्थान ने टीएलएम किट के उपयोग पर 14 भाषाओं में वीडियो तैयार किया है और लाभार्थियों की जानकारी के लिए एनआईईपीआईडी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है।

(ii) संस्थान ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से पिछले 8 वर्षों के दौरान 5 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों और 11 राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

(iii) पिछले 8 वर्षों के दौरान, एसएसए शिक्षकों के लिए वेबिनार और कार्यक्रमों सहित कुल 2527 अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों से कुल 160046 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया।

(iv) अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के रूप में, संस्थान ने 2014 से कुल 11 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की हैं। वर्तमान में 4 अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम चल रहे हैं और 3 नई परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

(v) 2014 से पूर्वोत्तर कार्यकलापों के रूप में, एनआईईपीआईडी ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 446 जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित किए हैं और उपरोक्त कार्यक्रमों से कुल 47,100 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। पूर्वोत्तर कार्यकलापों के एक रूप में, 2015-16 से 2019-20 तक 7 पूर्वोत्तर राज्यों के 39 विभिन्न स्कूलों में सीएआई लैब/मॉडल क्लास रूम स्थापित किए गए हैं। सीआईए लैब/मॉडल क्लास रूम की स्थापना के लिए 1,60,39,889 रु. की राशि खर्च की गई।

6.3 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं/उपलब्धियों के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा लिखित उत्तर में समिति को सूचित किया गया कि:-

(i) पिछले तीन वर्षों में पंद्रह हजार से अधिक लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान की गई हैं,

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन-किरण की अवधारणा और समन्वय।

(iii) क्लिनिकल साइकोलॉजी ओपीडी की शुरुआत।

(iv) मानसिक रोग के क्षेत्र में पहला आरसीआई पंजीकृत देखभाल करने वालों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स (सीसीसीजी) शुरू करना।

(v) डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम अर्थात डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (डीवीआर-आईडी), डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन (डीसीबीआर) शुरू करना।

(vi) जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोग से संबंधित मुद्दों पर ऑनलाइन कार्यक्रम।

6.4 चूंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी), एक प्रकार की बौद्धिक अक्षमता के मामले देश में बुरी तरह से फैल रही है/बढ़ रही है, इसलिए राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा समिति को सूचित किया गया कि:-

"इससे पहले, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में, ऑटिज्म नि:शक्तता नहीं थी। यह आईडी थी। ऑटिज़म पहले इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी का एक एसोसिएटेड कंडीशन माना जाता था, लेकिन इसका असेसमेंट पूरी तरह से किया जाता है।

6.5 भारत में विकसित किए जा रहे ऑटिज़्म के आकलन के लिए उपकरण के बारे में पूछे जाने पर, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थान के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान बताया कि:-

"सर, यह इंडियन टूल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज़म है। हमारे यहाँ पर अभी ऑटिजम फुलस्केल पर प्रिवेंशन के लिए है। क्योंकि ऑटिज़म एक अनुवांशिक विकार है। प्रिवेंशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो अर्ली इन्टर्वेंशन सेंटर्स हैं, उसमें जो क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इन्टर्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर हरेक डिसएबिलिटी का अर्ली इन्टर्वेंशन होता है।"

6.6 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर के निर्माण की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर क्योंकि यह अस्थायी आवास से चल रहा है, सचिव, पीडब्ल्यूडी विभाग ने साक्ष्य के दौरान समिति को सूचित किया कि:-

"कोविड के आने से और बारिश के ज्यादा होने से कुछ चैलेंजेज़ हैं, तब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो संस्थान है, इसकी बिल्डिंग का काम अगले साल जून तक खत्म हो जाए। इसका काम बहुत जोर-शोर से चल रहा है और साथ ही साथ इसकी रेगुलर मॉनीटरिंग भी यहां से की जा रही है।"

6.7 संस्थान में लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में पूछे जाने पर संस्थान के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष बताया:-

"हम वहाँ पर जो सर्विसेस दे रहे हैं, उनमें मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन जैसे आईक्यू परीक्षण, न्यूरोसाइकोलॉजिकल मूल्यांकन आदि, व्यक्तित्व मूल्यांकन, सार्वभौमिक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों जैसे अवसाद, चिंता, ऑनलाइन चिकित्सीय और परामर्श सेवाएं आदि के लिए साइकोथेरेपी शामिल हैं।

6.8 समिति मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों से निपटने में विभाग के प्रयासों को स्वीकार करती है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए क्रमशः 1984 और 2019 में दो राष्ट्रीय संस्थान अर्थात सिकंदराबाद में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान और सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान स्थापित किए गए थे। समिति ने पाया कि बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए क्षमताओं का निर्माण करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने शिक्षण अधिगम सामग्री किटों के विकास, सम्मेलनों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान आदि जैसे कई कदम उठाए हैं। तथापि, संस्थान द्वारा की गई प्रगति शायद बौद्धिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप नहीं है। समिति का मानना है कि राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया होगा और विशेषज्ञता विकसित की होगी क्योंकि यह 1984 में अस्तित्व में आ गया था। इसलिए समिति चाहती है कि संस्थान को देश में बौद्धिक दिव्यांगता के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अपनी अनुसंधान गतिविधियों को तेज करना चाहिए। वे यह भी चाहते हैं कि संस्थान को देश भर में उनके द्वारा आयोजित कार्यशालाओं की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए ताकि समाज में बौद्धिक दिव्यांगता / मानसिक बीमारी के बारे में पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न हो सके।

6.9 समिति सीहोर में स्थापित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान के भवन के निर्माण कार्य की प्रगति से संतुष्ट नहीं है। 2019 में स्थापित संस्थान को अभी तक अपने स्वयं के भवन में स्थानांतरित नहीं किया गया है, जिसे समिति निष्पादन एजेंसी को अपनी ओर से गंभीर प्रयासों की कमी के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती है। वे यह समझने में असमर्थ हैं कि सौंपी गई जिम्मेदारी संस्थान द्वारा कैसे निभाई जाएगी यदि उसके पास अपेक्षित बुनियादी ढांचे वाला अपना

परिसर ही नहीं है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए ताकि संस्थान सौंपी गई जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से सक्षम हो सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि संविदा के आधार पर संकाय सदस्यों को नियोजित करने के बजाय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपेक्षित संकाय की स्थायी भर्ती की जाए ताकि संस्थान जरूरतमंद व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण और निरंतर सेवा देने में सक्षम हो सके।

6.10 समिति नोट करती है कि कि बच्चों में स्वलीनता के मामले देश में व्यापक रूप से हैं। हालांकि, इस तरह की जटिल दिव्यांगता से निपटने के मामले में बहुत प्रगति नहीं हुई है। समिति प्रसन्न है क्योंकि उन्हें बताया गया है कि स्वलीनता को अब दिव्यांगता माना जा रहा है जिसे आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अधिनियम से पहले नहीं माना जाता था और भारत में स्वलीनता का आकलन करने के लिए एक उपकरण भी विकसित किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की मदद से स्वलीनता से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही समिति को यह भी उम्मीद है कि बच्चों में स्वलीनता के लक्षणों का जल्द पता लगाने के लिए संस्थानों द्वारा अनुसंधान सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि प्रारंभिक चरण में ही उपचार शुरू हो सके। चूंकि ऐसे बच्चों का आईक्यू स्तर औसत से कम या उससे अधिक हो सकता है, समिति का मानना है कि ऐसे बच्चों के विकास के लिए स्व-सहायता कौशल, संचार कौशल, व्यावसायिक चिकित्सा, वाक् चिकित्सा, परिवार के सदस्यों के लिए परामर्श सुविधा और व्यावसायिक प्रशिक्षण काफी उपयोगी होंगे। इसलिए समिति महसूस करती है कि ये दोनों संस्थान ऐसे बच्चों की जरूरतों का आकलन करने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं और उनके माता-पिता को परामर्श और उचित

मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय भी कर सकते हैं ताकि वे अपने बच्चे की विशिष्ट आवश्यकता को समझ सकें।

अध्याय - सात

राष्ट्रीय संस्थानों की निगरानी

7.1 राष्ट्रीय संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत स्वायत्त निकाय हैं। उनके पास दो स्तरीय शासी संरचना है। पहला, शासी/जनरल कॉउन्सिल(जीसी), जिसमें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर के अध्यक्ष एक शिक्षाविद होते हैं, को छोड़कर, सभी एनआई के अध्यक्ष सचिव, पीडब्ल्यूडी विभाग होते हैं। दूसरा, इसे कार्यकारी परिषद (ईसी) कहा जाता है, जिसमें जनरल कॉउन्सिल होती है, जिसकी अध्यक्षता पीडब्ल्यूडी विभाग के संयुक्त सचिव करते हैं, जो एनआई से निपटते हैं। एनआईएमएचआर के मामले में, ईसी की अध्यक्षता निदेशक, एनआईएमएचआर द्वारा की जाती है।

7.2 एनआईएमएचआर/आईएसएलआरटीसी को छोड़कर जहां संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रीय संस्थानों कि अध्यक्षता एक निदेशक (भारत सरकार में निदेशक स्तर का अधिकारी) करता है। पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी से संबंधित संगठनों का जीसी/ईसी में मानद आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाता है। अप्रैल, 2020 में राष्ट्रीय संस्थानों और उनके क्षेत्रीय और एकीकृत क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) की शासी संरचना को उनकी दक्षता और उत्तरदायित्व को और बेहतर बनाने और मजबूत करने के उद्देश्य से नया रूप दिया गया।

7.3 इन संस्थानों के प्रबंधन में शासी संरचना की प्रभावशीलता के बारे में पूछे जाने पर, सचिव ने समिति के विचार-विमर्श के दौरान बताया कि:-

> "जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हमारे विभाग के हैं, उनको कैसे हम चलाते हैं, क्योंकि उनकी ऑटोनोमी भी है और साथ में उनका एक गवर्निंग स्ट्रक्चर भी बनाया गया है, ताकि वह जो काम कर रहे हैं, उनकी हम प्रोपर मोनिटरिंग भी कर सकें और उन्हें यदि हमें लगता है कि उन्होंने कुछ कम किया है, तो हम उस पर फोकस कर सकें।"

7.4 उन्होंने राष्ट्रीय संस्थानों की निगरानी में विभाग की भूमिका के संदर्भ में यह भी बताया कि:-

"उसमें जो एग्जिक्युटिव कमेटी की मीटिंग है, वह रेगुलर जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर होती है। उसमें जो-जो निर्णय है, जो आगे काम करने हैं, वह उसमें सारे के सारे रखे जाते हैं। उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे दिशा-निर्देश हैं और ओवर साइट भी होते हैं कि जो पहले निर्णय लिए गए, उनके बारे में उन्होंने आगे क्या काम किया है।"

7.5 संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं और दिव्यांगजनों को प्रदान किए गए साधनों/उपकरणों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर, सचिव ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:-

"इस सिलसिले में हमारे जो एड एंड असिस्टिव डिवाइसेज़ होते हैं, जो कैम्प के द्वारा हम लाभार्थियों को देते हैं, उसकी क्वालिटी चैक के बारे में हमने पिछले चार-पाँच महीने में इसके ऊपर काफी मंथन किया है कि इसको हम कैसे एन्श्योर करें कि हम जिनको दे रहे हैं, वह उस सर्विस से सटिस्फाइड हो और उनको हम अच्छी क्वालिटी का दें। उसमें हमने दो-तीन चीजें की हैं। इसमें एक हमने फीडबैक फॉर्म रखा है कि आपको जो चीज मिली है और जो आपको इक्विपमेंट दिया गया है, आप उस सर्विस से सटिस्फाइड हैं। चाहे वह मोटर ट्राइसाइकिल हो या कोई और एड एंड इक्विपमेंट हो। अगर उसमें आपको किसी चीज की खराबी लगती है, हम जो एलिम्को के थ्रू देते हैं, उसकी एक साल की वारंटी होती है। लेकिन हम यह नहीं चाहते कि वह हमारे पास आए और कहे कि हमारी चीज खराब हो गई है। इसका मतलब है कि उसके अंदर गुणवत्ता नहीं है।

हमने दो चीजें एन्श्योर की हैं कि एक तो आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपने जिस लाभार्थी को दिया है, वह सटिस्फाइड रहे। जहां तक एनजीओज़ की बात हैं, कुछ एनजीओज़ अपने लेवल पर भी सीएसआर फंड कहीं से इकट्ठा करके बांट सकते हैं, उसके ऊपर हमारा इतना ओवर साइट नहीं है। उसके लिए हम डेफिनेटली कोई मैकेनिज्म डेवलप करेंगे ताकि वहां पर भी हम एन्श्योर कर सके कि उसकी गुणवत्ता एन्श्योर हो सके। अल्टीमेटली लाभार्थी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वह एनजीओ दे, चाहे वह सरकार दे, चाहे वह सीएसआर फंड से दे, चाहे वह सरकारी फंड से दे। उसके बारे में हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे।"

7.6 उन्होंने राष्ट्रीय संस्थानों की निगरानी के संबंध में विभाग द्वारा की गई पहलों के बारे में विस्तार से बताया कि:-

"हम लोग एक पोर्टल डेवलप कर रहे हैं, जो दो महीने में लाँच हो जाएगा कि कौन से लाभार्थी को कौन सा इक्विपमेंट दिया गया है और उसको कोई शिकायत है तो वह उसके ऊपर अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। साथ ही साथ जहां पर हमारे इक्विपमेंट बनते हैं, जैसे एलिम्को है, जो कि हमारे लिए मेन इक्विपमेंट बनाती है, उसके ऊपर भी हम पूरी निगरानी रख रहे हैं। साथ ही साथ उनको एम्फेसाइज भी कर रहे हैं कि आपके इक्विपमेंट में खराबी नहीं आनी चाहिए। यह कोई कारण नहीं है कि आप एक साल के बाद अगर वारंटी पीरियड में है, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। दूसरा यह है कि आपके सर्विस सेंटर्स लाभार्थी के घर के नजदीक होने चाहिए। मान लीजिए, कोई छोटी-मोटी खराबी किसी इक्विपमेंट में आ जाती है तो वह उस इक्विपमेंट को डिस्कार्ड करके न रखे। वह यह जाने कि उसको कहां से ठीक करवाकर उसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।"

7.7 विभाग द्वारा दिए गए लिखित उत्तर के माध्यम से समिति ने पाया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली के कामकाज का कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया है। अन्य संस्थानों के संबंध में यह बताया गया कि:-

(i) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता और सीआरसी के कामकाज की समीक्षा नियमित अंतराल पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित की जाती है।

(ii) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक:

कर्मचारी निरीक्षण एकक (एसआईयू), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को वर्ष 2014 में कार्य अध्ययन सौंपा गया था। स्वीकृत पदों, समाप्त किए गए पदों, नए पदों के मूल्यांकन से संबंधित रिपोर्ट अक्टूबर, 2016 में प्रस्तुत की गई थी।

(iii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेएन्डई) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन) (एवाईजेएनआईएसएचडी) संस्थान, मुंबई के कार्यकलापों का मूल्यांकन करने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

(iv) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीडी), सिकंदराबाद:

2016-17 के दौरान, नोएडा, कोलकाता और नवी मुंबई में स्थित संस्थान और इसके क्षेत्रीय केंद्रों/एमएसईसी का कर्मचारी निरीक्षण एकक (एसआईयू), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्य मापन अध्ययन किया गया। कैग नियमित आधार पर लेन-देन सम्बन्धी और वित्तीय ऑडिट करता है। एनआईईपीआईडी की जनरल कॉउन्सिल ने वार्षिक आधार पर सीआरसी के कामकाज के प्रभाव के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया है। उपरोक्त के अलावा संस्थान की सामान्य परिषद और कार्यकारी परिषद एनआईईपीआईडी के कामकाज की लगातार निगरानी करती है।

(v) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटीज (एनआईईपीएमडी), चेन्नई: ग्राहकों, लाभार्थी विद्यार्थियों और विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया का उपयोग करके नियमित रूप से मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करता है। मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है और लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

(vi) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली:

अलग से कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है, हालांकि, संस्थान के ईसी और जीसी संस्थान के प्रदर्शन की निगरानी करते हैं।

7.8 यह पूछे जाने पर कि क्या प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने और संस्थानों और सीआरसी के कामकाज को बढ़ाने के लिए कोई आवधिक मूल्यांकन किया जाता है, समिति को लिखित उत्तर में सूचित किया गया कि:-

"एनआई के कामकाज की देखरेख कार्यकारी परिषद (ईसी) और गवर्निंग/जनरल काउंसिल (जीसी) द्वारा की जाती है। ईसी की बैठक आम तौर पर त्रैमासिक आयोजित की जाती है और जीसी की बैठक ज्यादातर वार्षिक आधार पर आयोजित की जाती है। इन एनआई के ईसी की अध्यक्षता अधिकांशतः विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा की जाती है और जीसी की अध्यक्षता अधिकांशतः विभाग के सचिव द्वारा की जाती है, सिवाय हाल ही में स्थापित एनआईएमएचआर के मामले में जहां जीसी की अध्यक्षता एक शिक्षाविद और ईसी की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक द्वारा की जाती है। एनआई के कामकाज की देखरेख के अलावा, ईसी/जीसी समय-समय पर इन एनआई को उपयुक्त मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा, कैग वार्षिक आधार पर सभी संस्थानों के खातों का ऑडिट करता है और ऑडिट किए गए खातों के साथ उनकी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है।"

7.9 समिति ने पाया कि राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख निदेशक स्तर के अधिकारी होते है, जबकि एनआईएमएचआर और आईएसएलआरटीसी में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय संस्थानों के कामकाज के निरीक्षण के लिए दो स्तरीय शासी संरचना अर्थात महा-परिषद और कार्यकारी परिषद है। संस्थानों के महापरिषद और कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता क्रमशः सचिव और संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की जाती है, जबकि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान के महापरिषद और कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता क्रमशः एक शिक्षाविद और निदेशक, एनआईएमएचआर द्वारा की जाती है। समिति इन संस्थाओं के प्रमुखों के साथ-साथ राष्ट्रीय संस्थानों के महापरिषद और कार्यकारी परिषद के प्रमुखों की नियुक्ति में एकरूपता बनाए न रखने के कारणों को नही समझ में सक्षम पा रही है और

इसके कारणों को जानना चाहेगी। समिति अपेक्षाकृत यह ज्यादा पसंद करेगी कि दिव्यांगताओं के विभिन्न क्षेत्र में शिक्षाविदों/विशेषज्ञों को प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि वे राष्ट्रीय संस्थानों के विकास में प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम हों। इसलिए समिति यह सिफारिश करना चाहेगी कि इस मुद्दे की जांच करने और इस दिशा में सुविचारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाए।

7.10 समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि अधिकांश संस्थानों में हाल में कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया है। समिति को दी गई सूचना से यह भी स्पष्ट है कि संस्थानों के पास उनके दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए कोई मानक तंत्र नहीं है। मूल्यांकन प्रणाली के अभाव में समिति संस्थानों के कार्यकरण में किसी भी कमी की पहचान करने और सुधार का सुझाव देने के लिए संस्थानों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार को समझने में सक्षम नहीं है। समिति इस बात का पुरजोर समर्थन करती है कि संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्य निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। विभाग को संस्थानों (सीआरसी) और सीआरसी के आवधिक मूल्यांकन पर विचार करने और संस्थानों/समग्र क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण के लिए एक आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि वे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। समिति यह जानकर प्रसन्नत है कि लाभार्थियों को सहायक उपकरणों और सामग्रियों के वितरण के संबंध में पोर्टल विकसित करने के लिए उठाए गए कदम निगरानी की दिशा में उठाए गए कदमों में से एक है, लेकिन इस पोर्टल को विकसित करने की समय सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त

नहीं हुई है। यदि इस पोर्टल को समयबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है जिससे कि लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके तो समिति इसकी सराहना करेगी। समिति चाहती है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली;
15 दिसंबर, 2022
24 अग्रहायण, 1944 (शक)

रमा देवी
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट

प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट टिप्पणिय टिप्पणियों/सिफारिशों का विवरण

क्रम सं	पैरा सं	टिप्पियां/सिफारिशें
1	1.10	समिति नोट करती है कि तीन विधान अर्थात भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992; राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण और सशक्तिकारण के लिए अधिनियमित किया गया है। समिति आगे नोट करती है कि 21 अभिज्ञात दिव्यांगताओं के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने, दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने, अनुसंधान आदि का संचालन करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत वर्ष 1975 से अब तक नौ स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए हैं। समिति पुरजोर रूप से यह महसूस करती है कि भारत सरकार के ये प्रयास सराहनीय हैं क्योंकि उनका उद्देश्य दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभिन्न अधिनियमों/ योजनाओं / संगठनों के अंतर्गत उपलब्ध पुनर्वास सुविधाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को बेहतर तरीके से अपना जीवन जीने में सक्षम बनाना है। इस संबंध में समिति ने कुछ ख़बरों से यह पाया कि कुछ राष्ट्रीय संस्थानों का विलय/बंद किए जाने की

		संभावना है। तथापि, बाद में सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कोई भी राष्ट्रीय संस्थान बंद नहीं किए जायेंगे। तथापि, समिति को सूचित किया गया कि संस्थानों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस प्रक्रिया के कारण संस्थानों की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी और प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन के अलावा किसी भी संस्थान की स्वायत्तता, विशिष्टता और विशेषज्ञता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सचिव द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, समिति का मानना है कि विभाग द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो संस्थानों के साथ-साथ दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए हानिकारक हो। वे की गई कार्रवाई स्तर पर क्लस्टरिंग संबंधी प्रक्रिया की स्थिति से अवगत होना चाहेंगे।
2	1.11	समिति ने पाया कि 2.68 करोड़ की कुल दिव्यांगजन आबादी का आंकड़ा 2011 की जनगणना पर आधारित है और अपनी चिंता व्यक्त करती है कि क्या यह वास्तव में दिव्यांगजन आबादी की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। समिति का मानना है कि विकलांग व्यक्तियों की वास्तविक संख्या बहुत अधिक हो सकती है, क्योंकि उपलब्ध आंकड़ा 10 वर्ष से अधिक पुराना है। इसलिए, उनका मानना है कि विभाग को आज की स्थिति के अनुसार देश में दिव्यांगजन की अनुमानित संख्या की जानकारी है ताकि आवश्यक संसाधनों का वास्तविक मूल्यांकन, निधियों का आवंटन और उचित लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें। यह फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, चिकित्सक, पराचिकित्सक आदि जैसे प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता के लिए भी सही होगा, जहां सभी

		संभावनाओं में, वास्तविक संख्या आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। इसलिए, समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह आगे के परिणाम निर्धारित करते समय उनके अवलोकन को संज्ञान में ले और सभी राष्ट्रीय संस्थानों को दिव्यांग आबादी के लिए परिपूर्ण रूप से कार्यात्मक बनाने का प्रयास करे।
3	**2.15**	**समिति नोट करती है कि बहुदिव्यांगता के क्षेत्र में विशेषीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 5 राष्ट्रीय संस्थानों के 11 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्गत आउटरीच और विस्तार केन्द्रों के रूप में स्थापित किए जाने के लिए 21 समग्र क्षेत्रीय केन्द्रों को अनुमोदित किया गया है। इनमें से 13 समग्र पुनर्वास केंद्रों को वर्ष 2014-15 से अनुमोदित किया गया है। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों और समग्र पुनर्वास केंद्रों (सीआरसी) की अवसंरचना पर्याप्त नहीं है क्योंकि इनमें से कई केंद्र किराये/अस्थायी भवनों में चल रहे हैं और कई सीआरसी के भवन निर्माणाधीन भी हैं। समिति को सूचित किया गया है कि सीआरसी की स्थापना और संचालन की लागत पूरी तरह से विभाग द्वारा वहन की जाती है। साथ ही, एक प्रावधान यह निर्धारित करता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीआरसी की स्थापना की जाएगी, यदि संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि और अस्थायी आवास निशुल्क प्रदान किए जायेंगे। समिति का मानना है कि ऐसी स्थिति से सीआरसी की स्थापना में विलंब हो सकता है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि विभाग एक तंत्र विकसित करे ताकि अनुमोदित सीआरसी समयबद्ध तरीके से स्थापित किए जा सकें। चूंकि सीआरसी की अवसंरचना के निर्माण में समय**

		लगता है, इसलिए विभाग एक अस्थायी उपाय के रूप में सरकार द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक गृहों/बाल वाटिकाओं/सीजीएचएस औषधालयों अथवा धर्मार्थ संस्थाओं जैसे रोटरी क्लब, हेल्पेज इंडिया आदि के परिसरों का उपयोग कर सकता है ताकि राष्ट्रीय संस्थानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। समिति को विश्वास है कि कुछ संगठन, यदि सभी नहीं, तो सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देंगे और इस तरह की पहल के लिए जगह प्रदान करेंगे। यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई के अपने अध्ययन दौरे के दौरान संस्थान के लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं जैसे मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन, माता-पिता के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण और संस्थान में हाइड्रो थेरेपी यूनिट की स्थापना के बारे में कुछ निर्देश दिए थे। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि विभाग/संस्थान द्वारा उनके द्वारा की गई सभी टिप्पणियों पर कार्रवाई की गई है और आशा है कि राष्ट्रीय संस्थान लाभार्थियों से उनकी आवश्यकता के अनुसार नियमित रूप से उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिक्रिया लेंगे।
4	2.16	समग्र क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) को वर्ष 2020-2021 से राष्ट्रीय संस्थानों के साथ विलय कर दिया गया है। समिति यह जानना चाहती है कि क्या इस उपाय से इच्छित उद्देश्यों को पूरा किया गया है। समिति यह भी चाहती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समग्र क्षेत्रीय केन्द्र खोलने के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाना चाहिए और उन पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए और यदि किसी प्रस्ताव

		को अनुमोदित करने में कोई मुद्दा उठता है तो उन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से निपटाया जाना चाहिए ताकि सीआरसी की स्थापना का उद्देश्य विफल न हो।
5	3.12	समिति बजटीय आवंटनों के पूर्ण उपयोग में अंतर को जानकर निराशा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग राष्ट्रीय संस्थानों और एकीकृत क्षेत्रीय केंद्रों के संबंध में 2018-19 से 2021-22 तक "राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता" के अंतर्गत सहायता अनुदान खर्च करने में विफल रहा, और 1281.72 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से 1218.29 करोड़ रुपये खर्च किए जा सके। समिति यह भी नोट करती है कि अधिकांश राष्ट्रीय संस्थानों को जारी सहायता अनुदान 2017-18 से 2021-22 के दौरान लगभग स्थिर रहा है, जबकि राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान के संबंध में यह वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 में कम हो गया। समिति यह जानकर व्यथित है कि एकीकृत क्षेत्रीय केंद्रों की स्थिति भी यही है क्योंकि एकीकृत क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी का व्यय वर्ष 2018-19 में 233.75 लाख रुपये से घटकर वर्ष 2021-22 में 184.00 लाख रुपये हो गया। लखनऊ, पटना, कोझीकोड़े, नेल्लोर, नागपुर, सिक्किम, सुंदरनगर, राजनांदगांव, त्रिपुरा, गोरखपुर और बलांगीर के एकीकृत क्षेत्रीय केंद्रों पर व्यय भी वर्ष 2020-2021 में कम हो गया। समिति उन कारणों को समझने में असमर्थ है जिनके कारण जारी सहायता अनुदान को खर्च नहीं किया जा सका, विशेष रूप से जब इन संस्थानों को दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधनों के विकास, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने, अनुसंधान करने आदि की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और ये ऐसा क्षेत्र है जिसके

		आपार कार्यकलापों को करने के लिए अनंत संभावनाएं है। विभाग ने न केवल निधियों के उपयोग में खराब प्रदर्शन किया, बल्कि लाभार्थियों के संदर्भ में भी स्थिति निराशाजनक पाई गई। वर्ष 2017-18 में लाभार्थियों की कुल संख्या 19.24 लाख थी, जो वर्ष 2021-22 में दो नए संस्थानों अर्थात भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, दिल्ली और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर की स्थापना के बाद भी घटकर 18.97 लाख रह गई। समिति सीआरसी में लाभार्थियों की संख्या से भी प्रभावित नहीं है क्योंकि विभिन्न एकीकृत क्षेत्रीय केन्द्रों में लाभार्थियों की संख्या कम हो गई। समिति सीआरसी में लाभार्थियों की संख्या से भी प्रसन्न नहीं है क्योंकि विभिन्न एकीकृत क्षेत्रीय केन्द्रों में लाभार्थियों की संख्या कम हो गई है। समिति का यह दृढ़ मत है कि यदि इन संस्थानों/सीआरसी ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो निधियों के आवंटन में वृद्धि हुई होती क्योंकि सहायक उपकरणों की कीमत बढ़ रही है और दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद दिव्यांगता का दायरा काफी बढ़ गया है। स्पष्ट रूप से, एनआई और सीआरसी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। संभवतः, नवस्थापित राष्ट्रीय संस्थाओं भी समुचित रूप से कार्य नहीं कर रही है। इसलिए, समिति मानती है कि सभी राष्ट्रीय संस्थानों/आरसी/सीआरसी द्वारा बजटीय आबंटन/सहायता अनुदान का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए प्रभावी उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं से अधिक से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हों। समिति की इच्छा यह भी है कि विभाग पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करे और यह

		सुनिश्चित करे कि विभाग कुल व्यय का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों में खर्च करे और देश के अन्य भागों के छोटे शहरों वाले क्षेत्र में सीआरसी स्थापित करने के लिए उपयुक्त उपाय करे ताकि दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को सार्वभौमिक रूप से पूरा किया जा सके।
6	4.5	समिति यह जानकर निराश है कि अधिकांश संस्थानों में संकाय सदस्यों की संख्या उनकी स्वीकृत संख्या की तुलना में बहुत कम है। दशकों पहले स्थापित किए गए संस्थानों में भी अपर्याप्त संकाय सदस्य का होना चिंताजनक स्थिति है। सीआरसी में भी स्थिति अच्छी नहीं है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान के सभी सीआरसी के लिए स्वीकृत पद संख्या 26 है, जिनमें से 20 रिक्त हैं। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के सीआरसी में 20 नियमित पदों और 106 संविदा पदों की स्वीकृत संख्या में से 8 नियमित पद और 58 संविदा पद रिक्त हैं। चूंकि अन्य संस्थानों/सीआरसी में स्थिति समान रूप से खराब है, इसलिए समिति का सुझाव है कि विभाग को कारणों की पूरी तरह से जांच करने, जल्द से जल्द उनका समाधान करने और रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है ताकि छात्रों और लाभार्थियों को परेशानी न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में एक निश्चित समय सीमा में भर्ती की जाए और इसे वर्षों तक लटकाए न रखा जाए। समिति ने यह भी पाया कि स्वीकृत/वास्तविक पदों की संख्या के संबंध में सूचना संस्थानों की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है और उसका दृढ़ मत है कि ऐसी सूचना संस्थानों की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संदर्भ में,

		समिति ने ध्यान दिया कि कर्मचारी निरीक्षण इकाई, वित्त मंत्रालय के द्वारा 5 राष्ट्रीय संस्थानों के शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों का मूल्यांकन अध्ययन किया गया था, जिसमें व्यय विभाग ने 2016 में इन संस्थानों में कुछ नए पदों के सृजन और कई पदों को समाप्त करने की सिफारिश की थी। समिति इस बात से आश्चर्यचकित है कि एसआईयू की सिफारिशों के आधार पर कई पदों को समाप्त कर दिया गया, परंतु नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई। समिति इस बात को दोहराती है कि संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारियों और संकाय की संख्या वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों की कमी के कारण इन संस्थानों के कार्यकरण में बाधा न आए। इसलिए, समिति चाहती है कि विभाग को वित्त मंत्रालय के साथ इन संस्थानों में पदों के सृजन के मामले को एक बार पुनः उठाना चाहिए क्योंकि क्योंकि संस्थान अपेक्षित कार्मिकों की कमी के कारण कार्य करने में सक्षम नहीं हैं तो संस्थानों की स्थापना का कोई अर्थ नहीं है।
7	5.6	समिति यह नोट करके निराश है कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों सहित राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अधिदेशित हैं लेकिन इसके लिए अपेक्षित संख्या में अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं हैं। लगभग सभी संस्थानों/एकीकृत क्षेत्रीय केन्द्रों में यही स्थिति है। यह संस्थानों में चलाए जा रहे विशेष रूप से ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए बड़ी चिंता का कारण है, जो बहुत समय पहले अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा ऐसे पाठ्यक्रमों को ऊंची लागत को विशेष सॉफ्टवेयर

		और उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसका पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। समिति को हाल ही में की गई एक पहल के बारे में सूचित किया गया है, जिसमें विभाग ने भारतीय पुनर्वास परिषद से ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करने का अनुरोध किया है जो लोकप्रिय हों और अधिक समावेशी हों ताकि बहुदिव्यांगता के मामलों पर ध्यान दिया जा सके। समिति का मानना है कि इस तरह के सुधारात्मक उपाय पहले ही किए जाने चाहिए थे। पाठ्यक्रमों के लिए अभयार्थियों की कमी का सीधा असर दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए अच्छे प्रशिक्षकों की उपलब्धता पर पड़ता है। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग को भारतीय पुनर्वास परिषद के साथ सख्ती से काम करना चाहिए और विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए ताकि संभावित छात्रों के लिए आकर्षक पाठ्यक्रम जल्दी तैयार किए जा सकें और दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षकों/काउन्सलर की वर्तमान आवश्यकता को पूरा किया जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग को सभी संस्थानों को पाठ्यक्रमों को अच्छी तरह से प्रचारित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने का निदेश देना चाहिए ताकि भविष्य में पाठ्यक्रमों में कोई सीट खाली न रहे।
8	5.7	समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय संस्थानों का एक उद्देश्य विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं में अनुसंधान करना है। सहायक उपकरणों, पुनर्वास और विभिन्न दिव्यांगताओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा कई प्रमुख शोध किए गए हैं। तथापि, समिति इस बात से अप्रसन्न है कि निधियां प्राप्त नहीं होने के करण राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में

		तीन अनुसंधान परियोजनाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं। समिति का दृढ़ मत है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान का क्षेत्र पीछे छूट रहा है और इसलिए इस बात का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए और अधिक अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की जाएं, जो दिव्यांगजनों के जीवन को आरामदायक और आत्मनिर्भर बना सके। इसलिए समिति चाहती है कि विभाग संस्थानों के अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों पर अधिक ध्यान केंद्रित करे और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त समर्पित निधियां आवंटित करे ताकि निधियों की कमी के कारण अनुसंधान प्रभावित न हो।
9	5.8	समिति ने कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों (एलपीसी) के कल्याण के लिए काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन के साथ अपने विचार-विमर्श के दौरान पाया कि कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके निशक्त व्यक्ति भी दिव्यांगजनों की एक श्रेणी के हैं। परंतु दूसरों के विपरीत ऐसे व्यक्तियों में निशक्तता की प्रकृति और सीमा तय नहीं की जा सकती है क्योंकि कुष्ठ रोग समय के साथ उतरोत्तर बढ़ने वाली एक बीमारी है। समिति का मानना है कि राष्ट्रीय संस्थानों की विशेषज्ञता और व्यापक पहुंच का उपयोग एलपीसी को सेवाएं, उपचार और पुनर्वास उपलब्ध करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान और स्वामी विवाकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान गतिशील दिव्यांगजनों के उपचार और पुनर्वास में अग्रणी हैं और उनकी निधियों का उपयोग ऐसे एलपीसी के लिए आवश्यक अनुकूल सहायता और उपकरण प्रदान करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, जो अन्यथा अत्यधिक गरीबी और सामाजिक कलंक के साथ दयनीय

		जीवन जीते हैं। इसके अतिरिक्त, इन संस्थानों द्वारा एलपीसी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान भी किया जा सकता है। समिति चाहती है कि उनके विशेष मामले से संबंधित विभाग की कार्य योजना से उन्हें अवगत कराया जाए।
10	6.8	समिति मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों से निपटने में विभाग के प्रयासों को स्वीकार करती है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए क्रमशः 1984 और 2019 में दो राष्ट्रीय संस्थान अर्थात सिकंदराबाद में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान और सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान स्थापित किए गए थे। समिति ने पाया कि बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए क्षमताओं का निर्माण करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने शिक्षण अधिगम सामग्री किटों के विकास, सम्मेलनों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान आदि जैसे कई कदम उठाए हैं। तथापि, संस्थान द्वारा की गई प्रगति शायद बौद्धिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप नहीं है। समिति का मानना है कि राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया होगा और विशेषज्ञता विकसित की होगी क्योंकि यह 1984 में अस्तित्व में आ गया था। इसलिए समिति चाहती है कि संस्थान को देश में बौद्धिक दिव्यांगता के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अपनी अनुसंधान गतिविधियों को तेज करना चाहिए। वे यह भी चाहते हैं कि संस्थान को देश भर में उनके द्वारा आयोजित कार्यशालाओं की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए ताकि समाज में बौद्धिक दिव्यांगता /

		मानसिक बीमारी के बारे में पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न हो सके।
11	6.9	समिति सीहोर में स्थापित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान के भवन के निर्माण कार्य की प्रगति से संतुष्ट नहीं है। 2019 में स्थापित संस्थान को अभी तक अपने स्वयं के भवन में स्थानांतरित नहीं किया गया है, जिसे समिति निष्पादन एजेंसी को अपनी ओर से गंभीर प्रयासों की कमी के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती है। वे यह समझने में असमर्थ हैं कि सौंपी गई जिम्मेदारी संस्थान द्वारा कैसे निभाई जाएगी यदि उसके पास अपेक्षित बुनियादी ढांचे वाला अपना परिसर ही नहीं है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए ताकि संस्थान सौंपी गई जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से सक्षम हो सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि संविदा के आधार पर संकाय सदस्यों को नियोजित करने के बजाय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपेक्षित संकाय की स्थायी भर्ती की जाए ताकि संस्थान जरूरतमंद व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण और निरंतर सेवा देने में सक्षम हो सके।
12	6.10	समिति नोट करती है कि कि बच्चों में स्वलीनता के मामले देश में व्यापक रूप से हैं। हालांकि, इस तरह की जटिल दिव्यांगता से निपटने के मामले में बहुत प्रगति नहीं हुई है। समिति प्रसन्न है क्योंकि उन्हें बताया गया है कि स्वलीनता को अब दिव्यांगता माना जा रहा है जिसे आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अधिनियम से पहले नहीं माना जाता था और भारत में स्वलीनता का आकलन करने के लिए एक उपकरण भी विकसित किया गया है। समिति यह भी नोट

		करती है कि राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की मदद से स्वलीनता से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही समिति को यह भी उम्मीद है कि बच्चों में स्वलीनता के लक्षणों का जल्द पता लगाने के लिए संस्थानों द्वारा अनुसंधान सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि प्रारंभिक चरण में ही उपचार शुरू हो सके। चूंकि ऐसे बच्चों का आईक्यू स्तर औसत से कम या उससे अधिक हो सकता है, समिति का मानना है कि ऐसे बच्चों के विकास के लिए स्व-सहायता कौशल, संचार कौशल, व्यावसायिक चिकित्सा, वाक् चिकित्सा, परिवार के सदस्यों के लिए परामर्श सुविधा और व्यावसायिक प्रशिक्षण काफी उपयोगी होंगे। इसलिए समिति महसूस करती है कि ये दोनों संस्थान ऐसे बच्चों की जरूरतों का आकलन करने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं और उनके माता-पिता को परामर्श और उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय भी कर सकते हैं ताकि वे अपने बच्चे की विशिष्ट आवश्यकता को समझ सकें।
13	7.9	समिति ने पाया कि राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख निदेशक स्तर के अधिकारी होते है, जबकि एनआईएमएचआर और आईएसएलआरटीसी में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय संस्थानों के कामकाज के निरीक्षण के लिए दो स्तरीय शासी संरचना अर्थात महा-परिषद और कार्यकारी परिषद है। संस्थानों के महापरिषद और कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता क्रमशः सचिव और संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की जाती है, जबकि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान के महापरिषद और कार्यकारी परिषद की

		अध्यक्षता क्रमशः एक शिक्षाविद और निदेशक, एनआईएमएचआर द्वारा की जाती है। समिति इन संस्थाओं के प्रमुखों के साथ-साथ राष्ट्रीय संस्थानों के महापरिषद और कार्यकारी परिषद के प्रमुखों की नियुक्ति में एकरूपता बनाए न रखने के कारणों को नही समझ में सक्षम पा रही है और इसके कारणों को जानना चाहेगी। समिति अपेक्षाकृत यह ज्यादा पसंद करेगी कि दिव्यांगताओं के विभिन्न क्षेत्र में शिक्षाविदों/विशेषज्ञों को प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि वे राष्ट्रीय संस्थानों के विकास में प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम हों। इसलिए समिति यह सिफारिश करना चाहेगी कि इस मुद्दे की जांच करने और इस दिशा में सुविचारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाए।
14	7.10	समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि अधिकांश संस्थानों में हाल में कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया है। समिति को दी गई सूचना से यह भी स्पष्ट है कि संस्थानों के पास उनके दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए कोई मानक तंत्र नहीं है। मूल्यांकन प्रणाली के अभाव में समिति संस्थानों के कार्यकरण में किसी भी कमी की पहचान करने और सुधार का सुझाव देने के लिए संस्थानों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार को समझने में सक्षम नहीं है। समिति इस बात का पुरजोर समर्थन करती है कि संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्य निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। विभाग को संस्थानों (सीआरसी) और सीआरसी के आवधिक मूल्यांकन पर विचार करने और संस्थानों/समग्र क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण के लिए एक आंतरिक

		निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि वे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। समिति यह जानकर प्रसन्नत है कि लाभार्थियों को सहायक उपकरणों और सामग्रियों के वितरण के संबंध में पोर्टल विकसित करने के लिए उठाए गए कदम निगरानी की दिशा में उठाए गए कदमों में से एक है, लेकिन इस पोर्टल को विकसित करने की समय सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यदि इस पोर्टल को समयबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है जिससे कि लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके तो समिति इसकी सराहना करेगी। समिति चाहती है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाए।